लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र / Fourteenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 53 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LIII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 12, मंगलवार, 5 अगस्त, 1975/14 श्रावण, 1897 (शक)

No. 12, *Tuesday*, *August* 5, 1975/*Sravana* 14, 1897 (*Saka*)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . . .	1
निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक:	Election Laws (Amendment) Bill:	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider . .	1—7
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale . .	1
श्री मोहन धारिया	Shri Mohan Dharia .	2
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta .	4
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan .	5
खंड 2 से 6 तथा 1	Clauses 2 to 6 and 1 .	7—13
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में:	Motion to pass, as amended:	
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale .	13
श्री मोहन धारिया	Shri Mohan Dharia . .	13
भारतीय सिक्का निर्माण (संशोधन) विधेयक :	Indian Coinage (Amendment) Bill:	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider . . .	13—15
श्री प्रणब कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee . .	13
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan .	14
श्री के० मायातेवर	Shri K. Mayathevar . .	14
खंड 2 से 4 तथा 1	Clauses 2 to 4 and 1 . .	15
पारित करने का प्रस्ताव:	Motion to pass :	
श्री प्रणब कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee .	16
लोक वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) विधेयक:	Public Financial Institutions Laws (Amendment) Bill:	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider . .	16—23
श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam. . . .	16,23

विषय	SUBJECT	पृष्ठ / PAGES
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta . . .	19
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y. S. Mahajan . . .	21
श्री अमरनाथ विद्यालंकार	Shri Amarnath Vidyalankar . .	22
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga . .	23
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana .	23
खंड 2 से 58 तथा 1	Clauses 2 to 58 and 1 . . .	24–25
पारित करने का प्रस्ताव, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में:	Motion to pass, as reported by Joint Committee :	
श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam .	25
सिगरेट (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) विधेयक:	Cigarettes (Regulation of Production, Supply and Distribution) Bill :	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider : . .	26,31
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh . .	26,30
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavtar Shastri	27
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan . .	27
श्री चपलेन्दू भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharyya	28
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee .	29
श्री के० गोपाल	Shri K. Gopal . . .	29
श्री इसहाक संभली	Shri Ishaque Sambhali	29
खंड 2 से 22 तथा 1	Clauses 2 to 22 and 1	31–32
पारित करने का प्रस्ताव:	Motion to pass	
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh . .	32,33
श्री सी० एम० स्टीफ़न	Shri C. M. Stephen . .	32
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee . .	33
डा० हेनरी आस्टिन	Dr. Henry Austin	33
राष्ट्रीय कैडेट कोर (संशोधन) विधेयक:	National Cadet Corps (Amendment) Bill .	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider .	34–37
श्री जे० बी० पटनायक	Shri J. B. Patnaik .	34,35
श्री भान सिंह भौरा	Shri B. S. Bhaura	34
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga . . .	35
श्रीमती रोज़ा देशपांडे	Shrimati Roza Deshpande .	35
खंड 2, 3 तथा 1	Clauses 2, 3 and 1 . . .	37–38
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में:	Motion to pass, as amended :	
श्री जे० बी० पटनायक	Shri J. B. Patnaik . . .	38

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अकिनीडू, श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडु, श्री (अनकपल्ली)
अम्बेश, श्री (फिरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश चन्द्र सिंह (फरुखाबाद)
अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भगवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसाहक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट)
इस्माइल, हुसैन खां श्री (वारपेटा)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडला)
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडगा)
उरांव, श्री टुना (जलपाईगुड़ी)
उलगनबी, श्री आर० पी० (वैल्लौर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय) एंगती, श्री बीरेन (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रुगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरैना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन (कासरगोड)
कतामुतु, श्री एम० (नागापट्टिनम)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामाऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्ण सिंह डा० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरूचिरापल्ली)
कलिंगारायार श्री मोहनराज (पोलाची)
कस्तुरे, श्री ए० एस० (खामगांव)
कादर, श्री एस० ए० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पंढ़रपुर)
काबले, श्री टी० डी० (लातुर)
काकोडकर, श्री पुरूषोत्तम (पंजिम)
कामराज, श्री के० (नागरकोइल)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
काले, श्री (जालना)
कावड़े, श्री वी० आर० (नासिक)

काहनडोल, श्री (मालेगांव)
किन्दर लाल, श्री, (हरदोई)
किरुतिनन, श्री था (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनेहीघाट)
कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक, बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
कैशाल, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैंड)
कोत्राशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कोया, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन, श्री एम० के० (पोन्नाणि)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णन्, श्रीमती पार्वती (कोयम्बटूर)
कृष्णप्पा. श्री एम० वी० (हुस्कोटे)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)

ग

गंगादेव, श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नानदरबार)
गांधी, श्रीमती इंदिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजापुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरोना)
गोखले, श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरुण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोयन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरी)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (वर्दबान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (एटा)

चन्द्र गौडा, श्री डी० वी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा वीर बासप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका, प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चिक्कलिंगैया, श्री के० (मांडया)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरुपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी श्री अमर सिंह (मांडवली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहमपूर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौधरी, श्री मोइननुल हक (धुबरी)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (चैल)

ज

जगजीवनराम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रहमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयशक्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री वरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहांपुर)
जुल्फिकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोजफ, श्री एम० एस० (पीरमाडे)
जोरदर, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुंनझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चित्तौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव, (चिमूर)
ठाकरे, श्री एस० वी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)
डांडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लों, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी० (नान्देड़)
तुलसीराम, श्री वी० (पेद्दापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर, (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभान मनी (बलरामपुर)
तेवर, श्री पी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तैयब हुसैन, श्री (गुड़गांव)

द

दंडपाणि, श्री सी० डी० (धारापुरम)
दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दलीप सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
दाम णी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री धरनीधर (मंगलदायी)
दास, श्री रेणुपद (कृष्णनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडवा)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीवीकन, श्री (कल्लाकरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे, श्री ज्वाला प्रसाद (भंडारा)
दुराईरासु, श्री ए० (पैरम्बूलूर)
देव, श्री एस० एन० सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज राज सिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी राव एस० (परभणि)
देशपांडे, श्रीमती रोजा (बम्बई मध्य)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मराज सिंह, श्री (शाहबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धूसिया, श्री अनन्त प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवंत (नागपुर)

न

नन्द, श्री गुलजारीलाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फूलबनी)
नायक, श्री बी० वी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाड़मेर)
निंबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह, (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एस० टी० (भीर)

पजनौर, श्री अरविन्द बाल (पांडीचेरी)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली, (पुरी)
पटेल, श्री अरविन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढ़ढुका)
पटेल, श्री नटवर लाल (मेहसाना)
पटेल, कुमारी मणिवेन (साबरकंठा)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभदास (डाभोई)
पटेल, श्री आर० आर० (दादर तथा नगर हवेली)
पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पालोडकर, श्री मानिकराव (औरंगाबाद)
पास्वान, श्री राम भगत (रासेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द (खलीलाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायन (गोरखपुर)
पांडे, श्री राम सहाय, (राजनन्द गांव)
पांडेय, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दौली)
पाओकाई हाओकिप, श्री (ब्राह्मनीपुर)
पाटिल, श्री आन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० वी० विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एस० वी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जलगांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पाराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल (सुरेन्द्र नगर)
पार्थासारथी, श्री पी० (राजमपैट)
पिल्ले, श्री आर० बालकृष्ण (मावेलिकरा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूम)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नागिरी)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)
प्रधान, श्री धनशाह (शहडोल)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रबोध चन्द, श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली बाबू, श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी, श्री एस० एम० (कानपुर)
बनर्जी, श्रीमती मकुल (नई दिल्ली)
बनेरा, श्री हेमेन्द्र सिंह, (भीलवाड़ा)
बडे, श्री आर० वी० (खरगोन)
बरूआ, श्री बेदब्रत (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेटी)
बादल, श्री गुरदास सिंह (फाजिल्का)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन, (श्री के० (अम्बलपुजा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अल्मोड़ा)
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)

बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमक)
ब्रजराज सिंह कोटा, श्री (झालावाड़)
ब्रह्मानन्द जी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतनलाल (डार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहबाद)
भट्टाचार्य, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)
भट्टाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ, भंवर श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री बशेश्वर नाथ (अजमेर)
भार्गवी, तनकप्पन श्रीमती (अडूर)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीष्मदेव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंडल, श्री जगदीश नारायण (गोडा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मधुकर, श्री के० एम० (केसरिया)
मनहर, श्री भगतराम (जंजगीर)
मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगडा)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
मांझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी, श्री गजाधर (सुन्दरगढ़)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड, सिंह श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज)
मायावन, श्री बी० (चिदाम्बरम)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहाबाद)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगूसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुत्तुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रिय रंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनन्तम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मुरमू, श्री योगेशचन्द्र (राजमहल)

मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)
मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)
मोहम्मद खुदाबक्श, श्री (मुर्शिदाबाद)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)
मोहम्मद यूसूफ़, श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ़, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ़० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह (बदांयू)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधेपुरा)
यादव, श्री शरद (जबलपुर)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबहादुर, सिंह श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिंकील)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजदेवसिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० बी० जी० (विश्वखापत्तनम)
राठिया, श्री उमेद सिंह (रायगढ़)
राधाकृष्णन, श्री एस० (कुडलूर)
रामकवार, श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
राम दयाल, श्री (बिजनौर)
रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
राम सिंह भाई, श्री (इन्दौर)
राम हेडाऊ, श्री (रामटेक)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छप्परा)
राम सूरत प्रसाद, श्री (बासगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (रावर्टसगंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई, ए० (भद्राचलम)
राव, श्री नागेश्वर (मचिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाड़ा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद (ओंगोल)

राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, डा० बी० के० आर वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकीनाडा)
रिछारिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोदंड रामी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिंहा (चित्तूर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री पी० वी० (कावली)
रेड्डी, श्री बी० एन० (निरायालगुडा)
रेड्डी, श्री सिदराम (गुलबर्गा)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिल्लोर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकांतम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)
लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)
लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्रीपरेम्बदूर)
लम्बोदर बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी, भाई श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लिमये, श्री मधु (बांका)
लुतफ़ल हक, श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बाल गोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटलबिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजयपाल सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ़)
विश्वनाथन, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुदुकोटे)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुब्बया, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ़)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शंकर दयाल, सिंह (चतरा)
शफ़कत जंग, श्री (कराना)
शफ़ी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ, श्री (सैंदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)

शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज खां, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुनझनु)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलोर)
शेर सिंह, प्रो० (झज्जर)
शैलानी, श्री चन्द (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरुचेंडूर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (मिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फ़तेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महाराजगंज)
सतीशचन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलियाना श्री (मिजोरम)
सांघी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साठे, श्री वसन्त (अकोला)
साधुराम, श्री (फ़िलौर)
सामन्त, श्री एस० सी० (तामलुक)
सामिनाथन, श्री ए० पी० (गोबीचे ट्रिपलयम)
साल्वे, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतूल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्री श्याम, श्रीमती (आंवला)
साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (वीरभूम)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरभंज)
सिन्हा, श्री धर्मवीर, (बाढ़)
सिन्हा, श्री आर० के० (फ़ैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री नवल किशोर (मुजफ्फ़रपुर)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फ़ूलपुर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, प्रो० (नालन्दा)
सिंधिया, श्री माधुवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती वी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावलु, श्री (मयूरम)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)
सेकैरा, श्री इराज्मुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (काजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)

सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, डा० रानेन (बारसाट)
सेन, श्री राबिन (आसनसोल)
सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)
सोखी, सरदार स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजावूर)
सोलंकी, श्री सोम चन्द (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)
सोहनलाल, श्री टी० (करौलबाग)
स्टीफ़न, श्री सी० एम० मुवत्तु (पुजा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंधर)
स्वामीनाथन, श्री आर० वी० (मुदुरै)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोपपल)
स्वैल, श्री जी० जी० (स्वायत्तशासी जिले)

(हं)

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)
हनुमन्तैया, श्री के० (बंगलौर)
हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरि सिंह, श्री (खुर्जा)
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुर्य्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द, (औसग्राम)
हाशिम श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)
हुडा, श्री नुरुल (कछार)
होरो, श्री एन० ई० (खुन्टी)

लोक सभा

अध्यक्ष

डा० जी० एस० ढिल्लों

उपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री भागवत झा आजाद

श्री एच० के० एल० भगत

श्री इससाक सम्भली

श्री वसंत साठे

श्री सी० एम० स्टीफ़न

श्री जी० विश्वनाथन्

महासचिव

श्री श्याम लाल शकधर

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अंतरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री, तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री	श्रीमती इन्दिरा गांधी
विदेश मंत्री	श्री यशवन्तराव चव्हाण
कृषि और सिंचाई मंत्री	श्री जगजीवन राम
रक्षा मंत्री	श्री स्वर्ण सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्री	श्री उमाशंकर दीक्षित
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
पैट्रोलियम और रसायन मंत्री	श्री के० डी० मालवीय
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री .	श्री टी० ए० पाई
निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री	श्री के० रघुरामैया
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
गृह मंत्री	श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी
संचार मंत्री	डा० शंकर दयाल शर्मा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
वित्त मंत्री	श्री सी० सुब्रहमण्यम
रेल मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी

मंत्रालयों/विभागों के प्राभारी राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री आई० के० गुजराल
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री आर० के० खाडिलकर
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० नुरूल हसन
ऊर्जा मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त

श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
इस्पात और खान मंत्री	श्री चन्द्रजीत यादव

राज्य मंत्री

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री के० आर० गणेश
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	महिषी डा० सरोजिनी
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री बी० पी० मौर्य
गृह मंत्रालय, कार्मिक और शासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री प्रणब कुमार मुखर्जी
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० पी० शर्मा
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एल० एम० त्रिवेदी

उप–मंत्री

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री वेदव्रत बरुआ
विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बिपिनपाल दास
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० के० एम० इसहाक
पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सी० पी० माझी
गृह मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ़० एस० मोहसिन

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
संचार मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री प्रभुदास पटेल
रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री बी० शंकरानन्द
ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री	प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुखदेव प्रसाद
वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री]	श्रीमती सुशीला रोहतगी
रेल मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बूटा सिंह
निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री दलबीर सिंह
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री केदार नाथ सिंह
वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वेंकटस्वामी
श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बाल गोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 5 अगस्त, 1975/14 श्रावण, 1897 (शक)
Tuesday, August 5, 1975/Sravana 14, 1897 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय **पीठासीन हुए**]
Mr. Speaker *in the Chair*

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

मिट्टी का तेल (प्रयोग पर निर्बन्धन) संशोधन आदेश, 1975

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत मिट्टी का तेल (प्रयोग पर निर्बन्धन) संशोधन आदेश, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे जो दिनांक 2 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 958 में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रंथालय में रखे गये । **देखिये संख्या** एल० टी० 9922/75]

निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक
ELECTION LAWS (AMENDMENT) BILL

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और भारतीय दंड संहिता का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

[श्री एच० आर० गोखले]

इस विधेयक का उद्देश्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 79(ख) के अन्तर्गत 'प्रत्याशी' की परिभाषा के बारे में अधिनियम के उपबंधों की कुछ अनिश्चितताओं तथा शंकाओं को भूतलक्षी प्रभाव से दूर करना है। अधिनियम की धारा 123 (3) के अन्तर्गत धार्मिक और राष्ट्रीय प्रतीकों के उपयोग तथा प्रचार करने के भ्रष्ट तरीके दूर करना तथा अधिनियम की धारा 127 (7) के अन्तर्गत प्रत्याशी के चुनाव के अवसरों को बढ़ाने में सेवारत अधिकारियों द्वारा सहायता दिये जाने सम्बन्धी भ्रष्ट तरीके दूर करना है। विधेयक में भारतीय दंड संहिता की धारा 171क में प्रत्याशी की परिभाषा में अनुषंगिक संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 79 (ख) में 'प्रत्याशी' की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। इस परिभाषा में दो मामले हैं, पहले वह व्यक्ति जिसे कि प्रत्याशी माना जायेगा, और दूसरा वह समय जब से उस व्यक्ति को प्रत्याशी माना जायेगा। पहले मामले में तो कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन जहां तक दूसरे मामले का संबन्ध है, अर्थात् जब से कि व्यक्ति को प्रत्याशी माना जायेगा, इस परिभाषा में वह तिथि स्पष्ट नहीं है कि किस तारीख के बाद उसकी उम्मीदवारी प्रारंभ होगी। इससे अनावश्यक अनिश्चितता पैदा हुई है।

विधेयक का उद्देश्य धारा 79(ख) का संशोधन करके उस विशिष्ट समय को स्पष्ट करना है जब से कोई व्यक्ति प्रत्याशी माना जायेगा, अर्थात् चुनाव की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को वह विशिष्ट समय माना जायेगा जब से कि उस व्यक्ति को प्रत्याशी माना जायेगा। लेकिन यह अधिक बेहतर होगा यदि व्यक्ति के नामांकन की तारीख को उसके उम्मीदवार होने की तारीख माना जाये। अतः मैंने चुनाव व्यय तथा अन्य उद्देश्यों के लिए नामांकन की तारीख को उम्मीदवारी आरम्भ होने की तारीख मानने के लिये खंड 2 और 3 में संशोधन करने का नोटिस दिया है। विधेयक का खंड 5 भारतीय दंड संहिता की धारा 171(क) का संशोधन करता है जिससे उस संहिता के उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति के नामांकन की तारीख को उस के उम्मीदवार होने की तारीख निर्धारित किया जायेगा।

अधिनियम के अन्तर्गत चुनाव कराने के उद्देश्य से अधिकारियों द्वारा प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह आवंटित किये जाते हैं। चुनाव चिन्ह निर्धारित करते समय अन्तिम निर्णय अधिकारियों का ही मान्य होता है। अतः इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के तर्क की गुंजाइश अनुचित है कि अधिनियम के अन्तर्गत अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये चुनाव चिन्ह को धार्मिक या राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में चुनौती दी जाये। अतः इस पहलू को स्पष्ट करने का प्रस्ताव किया गया है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित किया गया चुनाव चिन्ह राष्ट्रीय या धार्मिक चिन्ह नहीं माना जायेगा।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में किसी प्रत्याशी द्वारा उसकी ओर से चुनाव की सम्भावनाओं के आगे बढ़ाने के लिये सरकारी सेवारत किसी वर्ग के अधिकारी की सहायता किया जाना भ्रष्ट प्रथा है।

इस उपबंध का सरकारी सेवारत किसी व्यक्ति द्वारा किये गये ऐसे कार्य या किसी क्रियाकलाप पर परदा डालने का कोई आशय नहीं है। इस स्थिति को सुस्पष्ट करना आवश्यक हो गया है।

एक अन्य कठिनाई जो धारा 123 (7) के उपबंध से उत्पन्न हुई है। वह यह है कि क्या ऐसा व्यक्ति, जिससे कि उपरोक्त प्रकार की सहायता प्राप्त की गई है सरकारी सेवा में है ? केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों में यह प्रथा प्रचलित है कि नियुक्ति, त्यागपत्र की स्थिति, सेवा समाप्त करने या सेवा से निकालने की तारीख को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है। ऐसे मामलों में नियुक्ति, त्यागपत्र, आदि के मामले में निश्चयात्मक रूप से सूचना प्रकाशित करने से धारा के उपबंधों को लागू करने से सहायता मिलेगी। इसलिए इस बारे में एक उचित स्पष्टीकरण जोड़ने का विचार है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की वर्तमान धारा 8(क) के अंतर्गत उम्मीदवार स्वत: ही अयोग्य घोषित हो जाता है। भ्रष्ट तरीका चाहे छोटा ही क्यों न हो, तकनीकी आधार पर भ्रष्ट ही है। फिर भी उम्मीदवार के 6 वर्ष तक अयोग्य घोषित किये जाने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। इससे बहुत कठिनाइयां होती हैं। हमने इस धारा के स्थान पर एक नई धारा प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव किया है जिसके अनुसार प्रत्येक उस व्यक्ति का मामला जो भ्रष्ट तरीका अपनाने का दोषी पाया गया हो राष्ट्रपति के समक्ष यह निश्चय करने के लिये रखा जायेगा कि क्या वह व्यक्ति अयोग्य घोषित किया जाये, और यदि हां, तो कितने समय तक। नई धारा में यह भी उपबन्ध किया गया है कि कोई भी अयोग्य घोषित व्यक्ति अपनी अयोग्यता समाप्त कराने के लिये राष्ट्रपति के समक्ष याचिका पेश कर सकता है और राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेने के बाद अपना निर्णय देगा। यह मूल परिवर्तन संशोधन के द्वारा किये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और भारतीय दण्ड संहिता का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री मोहन धारिया (पूना) : इस माननीय सभा द्वारा थोड़े से व्यक्तियों के लिये विधान बनाना या विधान में संशोधन करना संसदीय व्यवस्था के प्रति अन्याय है। विधि मंत्री द्वारा संशोधन करने वाला यह विधेयक उन मामलों को समाप्त करने के लिये लाया गया है जिन्हें प्रधान मंत्री के विरुद्ध प्रार्थी के पक्ष में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मान्य माना गया था। इसी प्रकार इस मामले पर गुण दोषों के आधार पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय देने के अधिकार को समाप्त करने के सम्बन्ध में पूरी सावधानी से काम लिया गया है।

यह संशोधन महत्वपूर्ण हैं तथा इन पर विस्तृत रूप से विचार किया जाना चाहिएं। मंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है कि नियमों में मूलभूत परिवर्तन किया गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को आज ही पारित न किया जाये।

नियम 93 के अंतर्गत हमें संशोधन प्रस्तुत करने के लिये समय दिया जाना चाहिए। यह नियम प्रक्रिया सम्बन्धी है। अत: इनका निलम्बन नहीं किया जाता।

[श्री मोहन धारिया]

यह सही है कि निर्वाचन विधि में संशोधन किय जान का काफा गुंजाइश है। लेकिन प्रधान मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री ने सभा में आश्वासन दिया था कि सभी वर्गों को विश्वास में लिया जायेगा और निर्वाचन विधि में भ्रष्ट तरीकों तथा अत्यधिक व्यय की ओर ध्यान दिया जायेगा। दल-बदल की प्रवृत्ति की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए था। निर्वाचन विधि में परिवर्तन लाना आवश्यक है लेकिन लोकतंत्र सम्पूर्ण समाज के लिये होना चाहिए। कुछ एक व्यक्तियों के लिये नहीं। ऐसे संशोधनों पर विचार करते समय हमें संशोधन आदि प्रस्तुत करने के लिये पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। (**व्यवधान**)

इस विधेयक द्वारा देश में संसदीय प्रजातंत्र का भावी अधिनायकवाद के समक्ष आत्म-समर्पण हो जाता है। अतः मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : इन संशोधनों से कोई व्यक्ति किसी विशेष अवसर पर कोई लाभ प्राप्त करे अथवा न करे, इसका इन संशोधनों के गुण-दोषों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमें गुणों के आधार पर विचार करना चाहिए।

श्री मोहन धारिया : आप उनके साथ हैं। (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने कभी श्री धारिया की तरह अपने दल को त्याग कर दूसरे दल में प्रवेश नहीं किया।

यह एक तथ्य है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष कुछ ऐसी बातें आईं जो कानून के अंतर्गत पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हैं। विधि में इन प्रश्नों के सम्बन्ध में सन्देह रहित रूप से स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है। यदि इन संशोधनों से वह सन्देह समाप्त होता है तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई खराबी है।

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि कोई व्यक्ति किस समय से उम्मीदवार माना जाये, सामान्य बुद्धि यह बताती है कि जिस दिन से नामांकन पत्र स्वीकार होता है उस दिन से वह व्यक्ति उम्मीदवार होता है। उस से पहले वह कुछ भी कहता फिरे, उसे गम्भीरता से क्यों लिया जाये ?

इस समय चुनाव की अधिसूचना और नामांकन की तारीख में बड़ा अन्तर है। यह एक असंगत बात है। उस बीच बहुत कुछ हो सकता है। यह नियम अब से हर एक पर लागू होगा।

श्री मोहन धारिया : इसे भूतलक्षी प्रभाव क्यों दिया जा रहा है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह उन सभी मामलों पर लागू होगा जो न्यायालयों में पड़े हैं।

जहां तक मूल अधिनियम की धारा 123 के प्रस्तावित संशोधन का सम्बन्ध है, "कार्यालय" का कर्तव्य निभाने का ठीक-ठीक अर्थ क्या है ? न्यायालय उसका निर्णय किस प्रकार करेगा ? यह बात स्पष्ट नहीं की गई है।

नियुक्ति, त्यागपत्र, नौकरी समाप्त करने, नौकरी से बरखास्त करने अथवा हटाने के सम्बन्ध में भी जो बातें बतायी गई हैं, वे हास्यास्पद हैं। यह सिद्ध करने के लिए कि एक व्यक्ति ने त्यागपत्र दिया है अथवा नहीं, त्यागपत्र कब दिया गया और कब उसका त्यागपत्र स्वीकृत हुआ, न्यायालय के समक्ष कई सप्ताहों तक तर्क चलते रहे। कुछ भी हो इस सम्बन्ध में संदेह दूर किया जाना चाहिए। संशोधन में कहा गया है कि सरकारी गजट में छपने को विश्वस्नीय साक्ष्य माना जाये। यह ठीक बात है।

मैं श्री मोहन धारिया के इस विचार से आंशिक रूप से सहमत हूं कि जब हम चुनाव विधि में सुधार अथवा संशोधन करने पर विचार कर रहे हैं, तो इस अवसर पर सरकार को और अधिक कल्पना और दूरदर्शिता से काम लेना चाहिए और अन्य उपबन्ध भी शामिल करने चाहिए। विधि मंत्री को याद होगा कि गत वर्ष विपक्षी नेताओं से कई बार बातचीत हुई थी तथा बहुत से लोगों ने अपने विचार लिखित रूप में दिए थे। इन सब बातों पर विचार करने और कुछ और महत्वपूर्ण संशोधन लाने के लिए पर्याप्त समय था और हमें चाहिए था कि हम उनका स्वागत करते। मुझे खेद है कि यह अवसर हमने खो दिया।

निर्वाचन सुधार सम्बन्धी संयुक्त प्रवर समिति ने अपने प्रतिवेदन में एक मत से कई बड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। उनका एक सुझाव था बहु-सदस्यीय निर्वाचन आयोग का गठन। उनका दूसरा सुझाव मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करने के बारे में था।

उनकी तीसरी सिफ़ारिश यह थी कि चुनाव प्रचार के लिए सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को रेडियो पर प्रसारण का समय दिया जाये। चौथी सिफ़ारिश चुनाव सुधार के सम्बन्ध में है। पांचवीं सिफ़ारिश यह है कि चुनाव व्यय की वर्तमान सीमा बढ़ा दी जाये। समझ में नहीं आता कि इन सभी सुझावों को सम्मिलित क्यों नहीं किया गया है।

हम विधेयक का समर्थन करते हैं किन्तु आशा है कि अपने उत्तर में विधि मंत्री यह बताएंगे कि क्या उन्होंने निर्वाचन विधि में और अधिक मूलभूत परिवर्तन करने के प्रश्न को छोड़ ही दिया है या कोई ठोस बात उनके ध्यान में है या हम यह आशा करें कि अगले सत्र में और विधेयक पेश किया जायेगा। ऐसा करना अति आवश्यक है।

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डीवाश): मैं विधेयक का स्वागत करता हूं। विधि मंत्री ने जो संशोधन पेश किए हैं वे भविष्य में अत्यधिक लाभप्रद सावित होंगे। यह कहने का कोई लाभ नहीं कि यह विधेयक किसी एक व्यक्ति के लिए लाया गया है। इससे एक व्यक्ति को अवश्य लाभ मिलेगा किन्तु अन्य लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। प्रत्याशी की परिभाषा विधि मंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। आज तक यह बात विवादास्पद रही है कि न्यायपालिका तथा संसद् में से कौन सर्वोच्च है। जनता ने यह स्वीकार कर लिया है कि संसद् ही सर्वोपरि है।

हम जानते हैं कि हमारी न्यायपालिका कैसा निर्णय देती है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण, राजाओं की निजी थैलियों तथा विशेषाधिकारों को समाप्त करने तथा अन्य कई भूमि सुधार अधिनियमों में न्यायपालिका ने कैसा निर्णय दिया है। कानून बनाना संसद् और राज्य विधान मंडलों का कार्य है।

आज स्थिति ऐसी है कि न्यायालयों में न्याय खरीदा जा सकता है। जब किसी न्यायालय में भ्रष्टाचार हो और कार्यपालिका भी उसमें अन्तर्ग्रस्त हो जाये तो फिर क्या चारा रह जाता है?

अब तक अयोग्यता स्वत: ही हो जाती थी। किन्तु अब यह शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में रहेगी। किन्तु राष्ट्रपति के पास जायेगा कौन? श्री गोखले ने कहा कि राष्ट्रपति के सम्मुख मामला नियुक्त अधिकारी द्वारा पेश किया जायेगा। हमें पता नहीं वह अधिकारी कौन होगा। विधि मंत्री इस बात को स्पष्ट करें।

चुनाव विधि के संशोधन के सम्बन्ध में विपक्षी दलों से परामर्श किया गया था। लगभग सभी दलों से अपने विचार प्रकट करने के लिए कहा गया था। हमने भी अपने दल के विचार रखे थे। हमने इस बात पर जोर दिया था कि सदस्य को वापस बुलाने का अधिकार विधि में रखा जाये।

बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग बनाने, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने और सभी दलों को रेडियों पर प्रसारण की सुविधा देने की बातें संयुक्त प्रवर समिति ने मतैक्य से स्वीकार की थीं। हमें आशा थी कि सरकार इनमें से कुछ बातों पर विचार करेगी और उन्हें विधेयक में सम्मिलित करेगी। विधि मंत्री ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। कम से कम भविष्य में सरकार इन सिफ़ारिशों पर विचार करे और निर्वाचन विधि में आवश्यक संशोधन पेश करे।

श्री एच० आर० गोखले : यह विधेयक उन कमियों को दूर करता है जिनके कारण हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार का परिवर्तन बहुत पहले किया जाना चाहिए था जो कि अब किया जा रहा है।

यह संशोधन किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। यह सभी लम्बित मामलों पर लागू होगा। यह उन मामलों पर भी लागू होगा जिन्हें उच्च न्यायालय ने निपटा दिया है। परन्तु जिनमें अपील करने का अभी समय बाकी है। इस सम्बन्ध में किसी एक मामले और अन्य में भेदभाव नहीं बरता गया है। इसलिए यह कहना व्यर्थ है कि यह एक और ऐसा संशोधन है जो एक विशेष व्यक्ति के लिए लाया गया है।

कहा गया है कि संसद् सर्वोपरि है। कोई इसे चुनौती नहीं दे सकता। जब कभी न्याय-पालिका ने अपने निर्णयों में संसद् को चुनौती दी है तो संसद् ने अपनी सर्वोपरिता को बनाये रखा है। अपनी स्वायत्तता और सर्वोच्चता को बनाये रखने के लिए इस संसद् ने दृढ़ता दिखाई है और इसकी सर्वोच्चता तथा स्वायत्तता भविष्य में भी बनी रहेगी।

यह सही है कि चुनाव सुधारों पर व्यापक रूप से चर्चा होनी चाहिए। इस पर सामान्य चर्चा की गई है। विरोधी दलों द्वारा कुछ प्रारम्भिक चर्चा शुरू की गई थी लेकिन बाद में चर्चा को जारी नहीं रखा जा सका।

जहां तक चुनाव संबंधी खर्चों का प्रश्न है, विरोधी दल स्वयं आपस में इस पर एकमत नहीं हैं। यह सही है कि हमें सीमा बढ़ानी पड़ी लेकिन यह विधान का मामला नहीं, इस प्रश्न पर वर्तमान विधान के बाद स्वतंत्र रूप से विचार किया जा सकता है।

मतदाता सूची और बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है। इसके लिए संविधान में या इस अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि संवैधानिक उपबन्ध में पहले से ही एक सदस्य से अधिक सदस्यों वाले आयोग की परिकल्पना की गई है। अतः यह वर्तमान संशोधन का अंग नहीं बन सकता।

जहां तक मतदाता सूची का सम्बन्ध है, इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों में भी मतदान सूची की समय-समय पर पुनरीक्षा विशेषकर सामान्य चुनाव से पहले, करने की व्यवस्था की गई है। लेकिन परिवर्तन के बारे में यदि पुनः सुझाव दिए जाते हैं तो हम उन पर निश्चय ही विचार करेंगे और गंभीरता से विचार करने के पश्चात् सभा में इस सम्बन्ध में उपयुक्त विधान लाया जा सकता है।

प्रस्तावित संशोधन के संबंध में सरकारी कर्मचारियों के काम करने के बारे में भी प्रश्न किया गया है। यह उपबन्ध अत्यधिक व्यापक है। यदि कल कोई उम्मीदवार ऐसी स्थिति में पड़ जाता है, जहां उसे सुरक्षा की आवश्यकता है तो सरकारी अधिकारियों को अपना कर्त्तव्य निभाना पड़ेगा और ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि अधिकारियों ने चुनाव में उसकी मदद की है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा भारतीय दण्ड संहिता का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार चर्चा आरम्भ करेंगे।

खण्ड 1क से 1घ (नया)

अध्यक्ष महोदय : यह नया खंड है। श्री गोखले ने इस बारे में संशोधन संख्या 18 पेश किया है।

संशोधन किया गया।

पृष्ठ 1, पंक्ति 4 के **पश्चात** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाय** :

धारा 8क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

1क. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में जिसे (इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 8क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"भ्रष्ट आचरण के आधार पर निरर्हता।

8क. (1) धारा 99 के अधीन किए गए किसी आदेश द्वारा भ्रष्ट आचरण के दोषी पाए गए प्रत्येक व्यक्ति का मामला, ऐसे आदेश के प्रभावी होने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र, ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, यह प्रश्न अवधारित करने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाएगा कि क्या ऐसा व्यक्ति निरर्हित किया जाए और यदि किया जाए तो कितनी कालावधि के लिए :

परन्तु वह कालावधि जिसके लिए ऐसा व्यक्ति इस उपधारा के अधीन निरर्हित किया जा सकेगा किसी भी दशा में उस तारीख से छह वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसको धारा 99 के अधीन उसके सम्बन्ध में किया गया आदेश प्रभावी होता है।

(2) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन, जैसी वह निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारम्भ के ठीक पहले थी, निरर्हित हो गया है, उक्त कालावधि के शेष भाग के लिए ऐसी निरर्हता के हटाए जाने के लिए राष्ट्रपति को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा यदि ऐसी निरर्हता की कालावधि समाप्त नहीं हो गई है।

(3) उपधारा (1) में वर्णित किसी प्रश्न या उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत किए गए किसी आवेदन पर विनिश्चय देने से पूर्व राष्ट्रपति ऐसे प्रश्न या आवेदन पर निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा ।"

धारा 11 का संशोधन । 1ख. मूल अधिनियम की धारा 11 में, "इस अध्याय के अधीन" शब्दों के पूर्व, "(धारा 8ख के सिवाए)" कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 11क का संशोधन । 1ग. मूल अधिनियम की धारा 11क को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा, और—

(क) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा में से खण्ड (ख) का लोप किया जाएगा; और

(ख) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(2) धारा 8ख के अधीन राष्ट्रपति के किसी आदेश द्वारा किसी कालावधि के लिए निरर्हित व्यक्ति, किसी निर्वाचन में मतदान करने के लिए उसी कालावधि के लिए निरर्हित होगा ।

(3) धारा 8क की उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पर संसद् के किसी सदन या किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् के सदस्य के रूप में चुने जाने और बने रहने के लिए निरर्हता की बाबत राष्ट्रपति का विनिश्चय जहां तक हो सके, इस अधिनियम की धारा 11क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन, जैसी कि वह निर्वाचन, विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारम्भ के ठीक पहले थी, किसी निर्वाचन में मतदान करने के लिए उसके द्वारा उपगत निरर्हता की बाबत उसी प्रकार लागू होगा मानो ऐसा विनिश्चिय मतदान करने के लिए उक्त निरर्हता की बाबत विनिश्चय हो ।"

धारा 11ख का संशोधन 1घ. मूल अधिनियम की धारा 11ख में, "इस अध्याय के अधीन की किसी निरर्हता को हटा सकेगा" शब्दों के स्थान पर "धारा 11क की उपधारा (1) के अधीन किसी निरर्हता को हटा सकेगा" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ।"

Page 1, *after* line 3, *insert*—

1A. **Substitution of new Section for Section 8A.**—In the Representation of the People Act, 1951 (hereinafter referred to as the principal Act), for section 8A, the

following section shall be substituted, namely:—

8A(1) **"Disqualification on ground of corrupt practices.**—The case of every person found guilty of a corrupt practice by an order under section 99 shall be submitted. as soon as may be, after such order takes effect, by such authority as the Central Government may specify in this behalf, to the President for determination of the question as to whether such person shall be disqualified and if so, for what period:

Provided that the period for which any person may be disqualified under this sub-section shall in no case exceed six years from the date on which the order made in relation to him under section 99 takes effect.

(2) Any person who stands disqualified under section 8A of this Act as it stood immediately before the commencement of the Election Laws (Amendment) Act, 1975, may. if the period of such disqualifications has not expired, submit a petition to the President for the removal of such disqualification for the unexpired portion of the said period.

(3) Before giving his decision on any question mentioned in sub-section (1) or on any petition submitted under sub-section (2), the President shall obtain the opinion of the Election Commission on such question or petition and shall act according to such opinion."

1B. **Amendment of section 11.**—In Section 11 of the principal Act, after the words "under this Chapter", the brackets, words, figure and letter "(except under section 8A)" shall be inserted.

1C. **Amendment of section 11A.**—Section 11A of the principal Act shall be re-numbered as sub-section (1) thereof and—

(a) in the sub-section as so re-numbered, clause (b) shall be omitted; and

(b) after the sub-section as so re-numbered, the following sub-sections shall be inserted, namely:—

"(2) Any person disqualified by a decision of the President under sub-section (1) of section 8A for any period shall be disqualified for the same period for voting at any election.

under sub-section (2) of section 8A in respect of any disqualification for being chosen as, and for being. a member of either House action for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State shall, so far as may be, apply in respect of the disqualification for voting at any election incurred by him under clause (b) of sub-section (1) of section 11A of this Act as it stood immediately before the commencement of the Election Laws (Amendment) Act, 1975, as if such decision were a decision in respect of the said disqualification for voting also."

1D. **Amendment of Section 11B.**—In section 11B of the principal Act, for the words "any disqualification under this Chapter" the words, brackets, figures and letter "any disqualification under sub-section (1) of section 11A" shall be substituted.' (18)]

(श्री एच० आर० गोखले)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि नए खंड 1क से 1घ विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

नए खंड 1क से 1घ विधेयक में जोड़ दिए गए ।

New Clauses 1A to 1D were added to the Bill.

खण्ड 2

अध्यक्ष महोदय : अब हम खंड 2 को लेंगे । श्री शेरसिंह ने तीन संशोधन पेश किए हैं ।

प्रो० शेर सिंह (झज्जर) : मैं अपने संशोधन संख्या 1, 2 तथा 3 प्रस्तुत करता हूं ।

I have tabled three amendments in Clause 2, because under the explanation more powers have been given, which may be misused. You have said that security arrangements should be made for every one. It is good but in my amendment I have defined that "of any" should be substituted by "of Security". Further I have asked to delete "facilities provided or any other act or thing done". The officers should not be given free hand otherwise there will be no free and fair elections. Therefore "or purported discharge" words should be deleted.

श्री एच० आर० गोखले : मैंने इन बातों पर गहराई से विचार किया है । यदि मैं चुनाव लड़ने के लिए बिजली का कनेक्शन मांगता हूं तो किसी न किसी सरकारी कर्मचारी ने यह कार्य करना ही है । अतः मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 1, 2 तथा 3 सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived.

(संशोधन किया गया)

"2. मूल अधिनियम की धारा 77 की उपधारा (1) में—

(क) 'निर्वाचन के लिये अपेक्षा करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के' शब्दों के स्थान पर 'उसे नामनिर्दिष्ट किये जाने की तारीख के' शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

(ख) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण **अन्तःस्थापित किया जायेगा**, अर्थात् :"

"Page 1, *for* lines 4 to 6, *substitute*—

'2. In section 77 of the principal Act, in sub-section (1)—

(a) for the words "the date of publication of the notification calling the election", the words "the date on which he has been nominated" shall be substituted;

(b) after *Explanation* 2, the following *Explanation* shall be inserted, namely:—

(श्री एच० आर० गोखले)]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 2, संशोधित रूप, में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2, as amended was added to the Bill.

खण्ड 3

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 2, पंक्ति 3 से 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

"अभ्यर्थी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट हुआ है या नामनिर्दिष्ट होने का दावा करता है ।"

[Page 1, *for* lines 18 to 22, *substitue*—

'(b) "candidate" means a person who has been or claims to have been duly nominated as a candidate at any election;'. (20).

(श्री एव० आर० गोखले)]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 4

प्रो० शेर सिंह : मैं अपने संशोधन संख्या 5 से 11 पेश करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 5 से 11 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 5 to 11 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 4 was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खड 5 विधेयक का अग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 5 was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : अब श्री अमृत नाहाटा का संशोधन है । क्या वह उसे पेश कर रहे हैं ?

श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेर) : मेरे संशोधन अंशतः स्वीकार हो चुके हैं । अतः मैं अपने संशोधन पेश नहीं करना चाहता ।

खण्ड 6

प्रो० शेर सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3—

पंक्ति 1 से 11 का लोप कर दिया जाये । (12)

Through this amendment, I want that part (2), (3) and (4) of the clause be deleted because if the clause is passed as it is, it would be discriminatory against those who have already filed election petitions.

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन धारिया खंड 6 में एक संशोधन करने के लिए प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं ।

श्री मोहन धारिया (पूना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3—

पंक्ति 3 से 11 का लोप कर दिया जाये । (13)

मुझ पर यह आरोप लगाया गया है कि मेरा भाषण असंगत है । लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने जो कुछ कहा वह संगत था । जिस जल्दबाजी से यह विधेयक पेश किया गया है उससे लगता है कि इसके पीछे विशेष उद्देश्य है । यदि ऐसा नहीं है तो मेर यह संशोधन, कि इस विधान को ऐसी चुनाव याचिकाओं के सम्बन्ध में भूतलक्षी प्रभाव न दिय जाए जिन पर उच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया है और जो सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन पड़ी है, को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए । मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह मेरा संशोधन स्वीकार कर लें ।

श्री एच० आर० गोखले : मुझे खेद है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 12 तथा 13 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendments No. 12 and 13 were put and negatived.

संशोधन किया गया :

Amendment made

पृष्ठ 2, पंक्ति 42, "इस अधिनियम द्वारा मुख्य अधिनियम में किए गए संशोधनों" के स्थान पर [The amendments made by this At in the Principal Act) "इस अधिनियम की धारा 2, 3 तथा 4 द्वारा मुख्य अधिनियम में किए गए संशोधनों" [The amendments made by sections 2. 3 and 4 of this Act in the Principal Act]. **प्रतिस्थापित किया जाए** (21) ।

[श्री एच० आर० गोखले]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 6, संशोधित रूप म, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 6, as amended, was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री एच० आर० गोखले : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक संशोधित रूप में पास किया जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पास किया जाए ।"

श्री मोहन धारिया : सरकारी संशोधन संख्या 18 में कहा गया है कि ऐसे प्रश्न या याचिका पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह लेगा और ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा । इससे सरकार का इरादा स्पष्ट हो गया है । (**व्यवधान**) उचित तो यह होगा कि राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह लेने के बाद स्वेच्छा से निर्णय करे (**व्यवधान**)

श्री एच० आर० गोखले : इस संशोधन को पेश करने का उद्देश्य यह है कि राष्ट्रपति स्वायत्त संस्था निर्वाचन आयोग की सलाह के अनुसार कार्य करे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पास किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

भारतीय सिक्का निर्माण (संशोधन) विधेयक

Indian Coinage (Amendment) Bill

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

भारतीय सिक्का-निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 6 में केन्द्रीय सरकार को 100 रुपये से कम मूल्यवर्ग के ऐसे सिक्के बनाने का अधिकार है जिनके बारे में सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना जारी करती है ।

अब इस मूल्यवर्ग के प्रतिबन्ध को हटाने एवं 100 रुपये तक के मूल्यवर्ग के सिक्कों को बनाने की अनुमति देने का प्रस्ताव है ।

विश्व की खाद्य तथा कृषि सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिए वर्ष 1968 में खाद्य कृषि संगठन ने भारत सरकार को यह सुझाव दिया कि वह चलार्थ रूप में स्मारक सिक्कों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी करे । यह स्पष्ट है कि स्मारक सिक्के वर्तमान सिक्कों से अलग मूल्य के होंगे और यदि ये सिक्के वर्तमान सिक्कों से अधिक मूल्य के होंगे तो विदेशों में इसका मूल्य अधिक होगा ।

अधिक मूल्य वर्ग के सिक्के बनाना आकर्षण का विषय हो गया है । विदेशी मुद्रा के अर्जन की दृष्टि से भी अधिक मूल्यवर्ग के सिक्के जारी करना लाभप्रद है ।

भारतवर्ष 1969 से 10 रुपये मूल्यवर्ग के सिक्के जारी कर रहा है और हाल में 50 रुपये मूल्यवर्ग के सिक्के भी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बेचे गए हैं । अधिक मूल्यवर्ग के सिक्कों में चांदी एवं निकल आदि बहुमूल्य धातु होती हैं । इसलिए इनका निर्माण सीमित संख्या में किया जाता है ।

हम 1,000 रुपये मूल्यवर्ग क सिक्के जारी करने पर भी विचार कर रहे हैं । परन्तु अन्तिम निर्णय करने से पूर्व भारतीय सिक्का अधिनियम, 1906 में संशोधन करना आवश्यक है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारतीय सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । जहां एक ओर सरकार अधिक मूल्यवर्ग के सिक्के जारी कर रही है वहां सरकार को छोटे सिक्कों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए । छोटे सिक्के न मिलने के कारण जनता को काफी कठिनाई हो रही है । आशा है सरकार इस ओर ध्यान देगी ।

श्री के० मायातेवर (डिंडीगुल) : विधेयक को पेश करने का उद्देश्य सरकार को 1,000 रुपये के मूल्यवर्ग के सिक्के जारी करने का अधिकार देना है । हम इस विधेयक की सराहना करते हैं । परन्तु साथ ही सरकार को अधिक से अधिक छोटे सिक्के जारी करने चाहिएं ।

सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि सरकार 1,000 रुपये के नोट छापकर काले धन को एवं मुद्रास्फीति को किस प्रकार रोक सकती है । मेरा सुझाव है कि सरकार को 100 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण कर देना चाहिए । काले धन को बाहर निकालने का यह एक बढ़िया तरीका है । इससे मुद्रास्फीति पर भी रोक लगेगी । वस्तुतः इसको 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल कर लेना चाहिए । आशा है सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : प्रसन्नता की बात है कि चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों ने विधेयक का समर्थन किया है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस विधेयक का उद्देश्य है कि सरकार को 1,000 रुपये के मुल्यवर्ग के सिक्के बनाने का अधिकार प्रदान करना है ताकि हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश कर सकें और विदेशी मुद्रा कमा सकें।

वर्ष 1969 में हमने स्मारक सिक्के जारी करना शुरू किया था। उस वर्ष हमें 62,000 डालर की विदेशी मुद्रा मिली थी और वर्ष 1975 में यह बढ़कर 1,35,000 डालर हो गई। विदेशों में भारतीय सिक्कों की बिक्री बढ़ गई है। अतः इस अधिनियम की धारा 6 को समाप्त करना आवश्यक है। विधेयक पारित होने के बाद अन्तर्राष्ट्रीय एवं स्वदेशी बाजार में इन सिक्कों की बिक्री बढ़ेगी।

रिजर्व बैंक द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार फिलहाल छोटे सिक्कों की कमी नहीं है। साथ ही, हमने अधिक संख्या में छोटे सिक्के जारी करना शुरू कर दिया है। कलकत्ता, बम्बई और हैदराबाद की टकसालों में छोटे सिक्के तैयार हो रहे हैं। जब कभी छोटे सिक्कों की समस्या उत्पन्न होगी, सरकार उसका समाधान करेगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय सिक्का-निर्माण अधिनियम, 1906 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 4 विधेयक का अंग गए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पास किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

लोक वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) विधेयक
Public Financial Institutions Laws (Amendment) Bill

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956, और भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाए ।"

जैसा कि सदन को ज्ञात है लोक वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन), विधेयक, 1973, 22 दिसम्बर, 1973 को लोक सभा में पेश किया गया और वर्ष 1974 के बजट-सत्र में दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा गया था। संयुक्त समिति का प्रतिवेदन 25 जुलाई, 1975 को सभा पटल पर रखा गया ।

वित्तीय संस्थाएं देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हाल में औद्योगिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। मुख्य औद्योगिक परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विकास बैंक अधिक से अधिक साधन जुटा रहे हैं । गैर सरकारी औद्योगिक संस्थाओं के वित्त पोषण के लिए वित्तीय संस्थाए परिवर्तनीय मार्ग दर्शी सिद्धांत अपना रही हैं। जब ऐसे संकेत मिलें कि ये औद्योगिक संस्थाएं जनहित के विपरीत कार्य कर रही हैं तो वित्तीय संस्थाएं उन उपक्रमों की साम्य पूंजी में मत देने के अधिकार का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग कर सकेंगी। विकास बैंकों ने औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों एवं उद्योग सम्भावनाओं का सर्वेक्षण करना शुरू कर दिया है और सर्वेक्षण पूरे भी हो चुके हैं। छोटे एवं मध्यम दर्जे के उपक्रमों को प्रोत्साहन देने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकारें ऊपरी ढांचे तथा औद्योगिक उत्पादन के लिए आवश्यक सहायक सामग्री के संवर्द्धन के कार्य की जांच करने के लिये निगमें बना रही हैं।

विकास बैंक के कार्यक्षेत्र को इस प्रकार बढ़ाया जाना चाहिए कि जिससे यह एक मुख्य वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य कर सके और उद्योग को वित्तीय सहायता देने वाले अखिल भारतीय स्तर के वित्तीय संस्थानों, राज्य वित्त निगमों तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यों में तालमेल स्थापित कर सके। पिछड़े क्षेत्रों एवं छोटे मध्यम दर्जे के उद्यमकर्त्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी तथा क्षेत्रीय असमानताएं दूर करने के लिये कार्य करना होगा। विकास बैंकों को अखिल भारतीय एवं राज्य स्तर पर प्रबन्धकों तकनीशियनों एवं लेखा अधिकारियों का संवर्ग बनाना होगा। विकास बैंक को राज्य स्तर पर संस्थानों का विकास करना होगा तथा औद्योगिक संस्थानों की अनुसंधान एवं विकासशील कार्यों के लिए वित्त पोषण भी करना होगा।

हाल में सरकार ने कुछ वित्तीय संस्थानों के सहयोग से औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए केन्द्रीकृत सचिवालय बनाया है।

इससे औद्योगिक प्रगति की विभिन्न नीतियों को क्रियान्वित करने हेतु सरकार को सक्रिय सहयोग देने में विकास बैंक की भूमिका को नई दिशा मिली है। रिजर्व बैंक अपने निदेशक मण्डल के माध्यम से विकास बैंक का प्रभारी है। इसे देश के सैन्ट्रल बैंक के रूप में अत्यधिक कठिन एवं जटिल कार्य करना है। विकास बैंक को एक स्वतन्त्र संस्थान के रूप में कार्यसंचालन करना हैं।

इस विधान के दो उद्देश्य हैं। विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी को इस तरह से सुव्यवस्थित किया जायेगा जिससे विकास बैंक अन्य संस्थाओं के साथ सम्पर्क स्थापित कर यह मुख्य विकास वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करे। दूसरा उद्देश्य यह है कि विकास बैंक के कार्यक्षेत्र को इस तरह बढ़ाया जायेगा जिससे यह एक मुख्य वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करे और उद्योग को वित्तीय सहायता देने वाले अखिल भारतीय स्तर के वित्तीय संस्थानों, राज्य वित्तीय संस्थानों तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यों में तालमेल स्थापित कर सके।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अत्यन्त महत्वपूर्ण संशोधन में रिजर्व बैंक द्वारा विकास हेतु रखी गई सम्पूर्ण 100 प्रतिशत पूंजी को केन्द्रीय सरकार को हस्तांतरित करने की व्यवस्था है। केन्द्रीय सरकार रिजर्व बैंक की पूंजी के प्रत्यक्ष मूल्य के रूप में 50 करोड़ रुपये देगी।

विकास बैंक का एक पृथक निदेशक मण्डल होगा, जिसके दो सदस्य सरकारी अधिकारी, दो सदस्य विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के कर्मचारियों के प्रतिनिधि के रूप में होंगे और शेष सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें व्यावसायिक ज्ञान तथा अनुभव होगा।

'औद्योगिक प्रतिष्ठान' की परिभाषा इसलिये व्यापक की जानी है ताकि विकास बैंक नये उद्यमियों सहित अपने बहुमुखी औद्योगिक कार्यकलापों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में सहायता प्रदान कर सके।

केन्द्रीय सरकार को विकास बैंक की नीति सम्बन्धी मामलों पर निदेश देने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।

राज्य वित्तीय निगम अधिनियम में किये जाने वाले संशोधनों का यह उद्देश्य है कि विभिन्न राज्य वित्तीय निगमों में, जिनकी संख्या 18 है, रिजर्व बैंक की शेयर पूंजी विकास बैंक को हस्तांतरित की जायेगी। इसके एवज में विकास बैंक सभी वित्तीय निगमों की शेयर पूंजी के प्रत्यक्ष मूल्य के रूप में 2.42 करोड़ रुपये की राशि रिजर्व बैंक को देगा। तदनुरूप, प्रत्येक राज्य वित्तीय निगम के बोर्डों में विकास बैंक द्वारा नामनिर्देशित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि की जा रही है। प्रत्येक राज्य वित्तीय निगम के बोर्ड में लघु उद्योग के प्रतिनिधि लेने का भी प्रस्ताव है।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम में संशोधनों का यह उद्देश्य है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट की आरम्भिक पूंजी में रिजर्व बैंक द्वारा किए गये अंशदान का प्रत्यक्ष मूल्य विकास बैंक को हस्तांतरित किया जाये। इस के बदले में विकास बैंक 2.50 करोड़ रुपये की राशि रिजर्व बैंक को देगा। इससे अध्यक्ष, कार्यकारी ट्रस्टियों की नियुक्ति तथा ट्रस्टी बोर्ड में चार ट्रस्टियों की नामजदगी का अधिकार विकास बैंक को मिल जायेगा। ट्रस्टी मण्डल में रिजर्व बैंक के प्रतिनिधित्व के द्वारा यूनिट ट्रस्ट के साथ रिजर्व बैंक का सम्बन्ध बनाये रखने का प्रस्ताव है।

जीवन बीमा निगम अधिनियम में संशोधनों का यह उद्देश्य है कि विकास बैंक का एक व्यक्ति जीवन बीमा निगम तथा इसकी पूंजी निवेश समितियों में नामजद किया जायेगा।

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक के खण्ड 16 और 56 रिजर्व बैंक की सलाह से सुनिश्चित किए गये हैं। इन खण्डों में उपबन्ध किया गया है कि सम्बन्धित पूंजी के हस्तांतरण के 18 महीने के भीतर प्रत्येक कर्मचारी को यह विकल्प देना होगा कि वह कहां कार्य करना चाहता

है। इस अवधि में उसके सभी हितों की सुरक्षा की जायेगी और उसे रिजर्व बैंक के सामान्य संवर्ग पर ही समझा जायेगा ।

कुछ सदस्यों ने अपनी विमति प्रकट करते हुए यह तर्क दिया है कि रिजर्व बैंक से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की पूंजी सरकार को हस्तान्तरित करने से उद्योगों के "दीर्घकालिक ऋण" और "अल्पकालिक ऋण" के बीच तालमेल बिगड़ जायेगा। औद्योगिक परियोजनाओं के लिए दीर्घ तथा अल्पकालीन ऋण की व्यवस्था करने के उद्देश्य से विकास बैंक के बोर्ड में वित्तीय संस्थानों तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को प्रतिनिधित्व दिया गया है।

पूरा-पूरा सहयोग सुनिश्चित करने हेतु मुख्य वित्तीय संस्थान के रूप में विकास बैंक को सभी सदस्य संस्थानों में प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट के बोर्डों में भी इसको प्रतिनिधित्व मिलेगा ।

यह कहा गया है कि विकासशील अर्थव्यवस्था में 'सैन्ट्रल बैंक' बैंकों को सहायता देने का ही परम्परागत कार्य ही नहीं करेगा बल्कि 'दीर्घकालिक ऋण' के क्षेत्र में विकास एवं प्रगति का भी कार्य करेगा और कि यह सिद्धान्त वर्तमान विधेयक में नहीं है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि नई व्यवस्था में इसको नहीं भुलाया जायेगा ।

यह भी कहा गया है कि इस विधेयक के पास होने के बाद भी कृषि-वित्त रिजर्व बैंक के पास ही रहेगा। लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूं कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पुनर्गठन के बाद भी रिजर्व बैंक के साथ पहले जैसा ही सम्पर्क रहेगा और रिजर्व बैंक को औद्योगिक वित्त के क्षेत्र से पृथक करने का कोई आशय नहीं है।

विधेयक के आधार पर ही प्रश्न किया गया है कि क्या इन संस्थानों की पूंजी के पुनर्गठन की कोई आवश्यकता है। हमारा मत है कि विकास एजेंसी एक स्वतंत्र संगठन होना चाहिए तथा इसके बोर्ड में व्यावसायिक व्यक्ति होने चाहिएं। अतः सरकार का मत है कि विकास बैंक को मुख्य वित्तीय संस्थान का दर्जा देने का अब समय आ गया है। इस विधेयक का भी यही आशय है। विधेयक के खण्ड 6 से पता चलता है कि 23 सदस्यों वाले बोर्ड में 2 सरकारी अधिकारियों और 2 वित्तीय संस्थान के कर्मचारियों के अलावा बाकी सभी सदस्य अखिल भारतीय तथा राज्य स्तर के विभिन्न वित्तीय संस्थानों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा वे व्यावसायिक हैं। रिजर्व बैंक विकास बैंक के बोर्ड में डिप्टी गवर्नर की हैसियत से प्रतिनिधित्व करेगा और वह अपना सक्रिय योगदान देगा ।

यह भी तर्क दिया गया है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का पुनर्गठन किये जाने के बाद न तो उद्योगों को दिये जाने वाले ऋणों में वृद्धि होगी न ही ऋण की लागत कम होगी। अतः यह विधेयक आर्थिक दृष्टि से युक्तिसंगत नहीं है। प्रत्येक स्थिति में रिजर्व बैंक के निकट समन्वय से संसाधन जुटाये जायेंगे। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का दर्जा बढ़ा कर तथा इस सांविधिक रूप में समन्वय के लिए जिम्मेदार बनाकर हमारे विचार में भारतीय औद्योगिक विकास निगम रिजर्व बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थान उपलब्ध संसाधनों से पूरे सहयोग से काम करेगा और इस उद्देश्य से हर स्थान तथा प्रत्येक स्तर पर पूरे साधन उपलब्ध किये जायेंगे। यह प्रश्न भी किया गया है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की शेयरधारिता रिजर्व बैंक से सरकार को स्थानान्तरित होने के बाद बड़े उद्योगसमूह पहले की अपेक्षा इन वित्तीय संस्थानों से अधिक लाभ उठायेंगे। उद्योगों, सहकारी समितियों तथा बड़े उद्योग समूहों को ऋण देने सम्बन्धी नीति सरकार निर्धारित करेगी। विधेयक के खण्ड 6 के उपखण्ड (ख) में उपबन्ध है कि सरकार की नीति सम्बन्धी मामलों पर विकास बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार होगा।

शंका व्यक्त की गई है कि कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को बोर्ड के लिए निर्वाचित नहीं किया जायेगा लेकिन उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से निर्वाचित किया जायेगा। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में बैंककारी राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी योजना की व्यवस्था नहीं है ।

नई व्यवस्था के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का रिजर्व बैंक से वैसा ही सम्बन्ध रहेगा जैसा कि सरकार से रहेगा ।

औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में मुख्य वित्तीय संस्थान के रूप में विकास बैंक अपने बढ़े हुए कर्त्तव्यों के साथ देश के सन्तुलित औद्योगिक विकास में प्रभावशाली योगदान देने योग्य होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

Shri Ishaque Sambhali (Amroha): Sir, the House should be adjourned for lunch.

Mr. Speaker: You can go for lunch. It is in accordance with the resolution. I can not change it.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर): इस विधेयक के मुख्य प्रावधान वित्तीय संस्थानों के पुनर्गठन करने से सम्बन्धित हैं । इसमें दो पहलू हैं । एक तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को रिजर्व बैंक के नियंत्रण से बाहर लाकर सीधे वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत लाया गया है । दूसरा बैंक की पूंजी केन्द्रीय सरकार के पास ही रहेगी तथा प्रदत्त पूंजी भी केन्द्रीय सरकार के ही पास रहेगी ।

प्रश्न यह है कि क्या यह परिवर्तन आवश्यक है और इससे किस प्रकार का आधारभूत अन्तर पड़ेगा ? मैं यह मानता हूं कि इससे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और अधिक कार्यकुशल बनेगा तथा इसके मार्ग में आनेवाली कठिनाइयां दूर होंगी । लेकिन सरकार ने ऐसा कोई तर्क नहीं दिया है । इसमें क्या आधारभूत अन्तर लाया जा रहा है ? इससे पहले रिजर्व बैंक तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का साझा निदेशक मण्डल होता था और अब विकास बैंक का अपना पृथक निदेशक मण्डल होगा । इसमें केवल एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंक के दो कर्मचारियों को निदेशक मण्डल में शामिल करने का प्रावधान बनाया गया है । हमारा विचार है कि निदेशक मण्डल में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व राष्ट्र के हित में है न कि कार्मिक संघ की गतिविधियों के लिए । हमें कर्मचारियों तथा श्रमिकों का स्तर उनकी मांगों से ऊंचा उठाना है । सरकारी क्षेत्र के संगठनों तथा संस्थानों के लिए ही नहीं बल्कि संगठित कर्मचारियों के लिए भी यह आवश्यक है कि वे यह महसूस करें कि इस सरकारी क्षेत्र में वे भी साझीदार हैं और यह किसी पूंजीपति विशेष या धनाढय व्यक्तियों के प्रयासों का ही फल नहीं है । अतः कर्मचारियों को भी अपना योगदान करना चाहिये उन्हें अपने विचार, सुझाव तथा स्वस्थ समीक्षा प्रकट करनी चाहिए ।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि चयन अथवा नामनिर्देशन की प्रक्रिया लगभग उन वाणिज्यिक बैंकों जैसी ही होगी जिनका राष्ट्रीयकरण हो चुका है ।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस खण्ड को अध्याय II अनुच्छेद 2 में जोड़ना है जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को उद्योगों के विकास हेतु वित्त प्रदान करने वाले संस्थानों के कार्यों में समन्वय स्थापित करेगा तथा एक मुख्य वित्तीय संस्थान की भूमिका निभायेगा । हम समझते हैं कि ये संस्थान ऋण देते समय कुछ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में नहीं रखते हैं । हमने कभी यह नहीं कहा कि हमें गैर-सरकारी क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए । हम सदैव यह कहते आये हैं कि अर्थव्यवस्था सम्बन्धी मुख्य बातें सरकारी क्षेत्र में ही रहनी चाहिएं । दूसरे, जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जहां तक सम्भव हो कुछ लोगों के हाथों में धन का सकेन्द्रण तथा एकाधिकार की प्रवृत्ति को रोका जाये । लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि गैर-सरकारी क्षेत्र को समाप्त कर दिया जाये । इसका यह अर्थ है कि गैर-सरकारी क्षेत्र कुछ सीमाओं में ही कार्य करता रहे । सरकार के ऋण दाता संस्थानों ने अब तक बड़े बड़े व्यापार गृहों तथा एकाधिकार गृहों का ही पक्ष लिया है । इससे इन की सम्पत्ति में वृद्धि हुई है और कुछेक हाथों में धन का सकेन्द्रण बढ़ता जा रहा है ।

हमें पता चला है कि इन पांच सरकारी वित्तीय संस्थानों ने 253 गैर-सरकारी कम्पनियों की प्रति कम्पनी एक करोड़ रुपये की राशि ऋण के रूप में दी है । इनमें से 80 कम्पनियों को प्रति कम्पनी 3 करोड़ रुपये से भी अधिक ऋण दिया गया है । ये कम्पनियां बड़े-बड़े एकाधिकार गृहों के नियंत्रण में हैं । इन बड़े एकाधिकार गृहों को सरकार लायसेंस देने की स्थिति में ही नियंत्रित कर सकती है । लेकिन इन वित्तीय संस्थानों की 25 प्रतिशत से अधिक प्रदत्त पूंजी प्रत्येक कम्पनी में लगी हुई है । अतः इससे लाभ उठाने वाले वहीं संस्थान है जो किसी न किसी एकाधिकार गृह के नियंत्रण में है । यदि सरकार इन एकाधिकार गृहों का विकास, विस्तार और संगठन रोकना चाहती है तो लाइसेंस देते समय उन पर नियंत्रण किया जा सकता है । मेरा यह विचार है कि ये बड़े-बड़े एकाधिकार गृह सरकार द्वारा दिए गये धन पर ही पुष्ट हो रहे हैं । उनकी कोई बात भी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुकूल नहीं है । उनको सहायता तो अवश्य दी जानी चाहिए लेकिन शर्त भी अलग तरह की हो होनी चाहिए । लेकिन इन सब बातों का इस विधेयक में कोई उल्लेख नहीं है । इसलिए यह सभी कुछ विफल जायेगा ।

बड़े व्यापार क्षेत्रों के अतिरिक्त कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं जिन की उपेक्षा की गई है । इन क्षेत्रों तथा सहकारी क्षेत्रों की यह शिकायतें हैं कि उन्हें उनका उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है । ये छोटे और पिछड़े क्षेत्र हैं और इन्हें सहायता दी जानी चाहिए और उन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए । अन्यथा न तो तीव्र गति से विकास ही होगा और न ही बेकारी की समस्या ही हल हो पायेगी । मैं इस बात से सहमत हूं कि ये छोटे किसान विभिन्न प्रकार की सहकारिताओं से अधिक तीव्रता से विकास कर सकते हैं । लेकिन उद्योग के मामले में बड़े औद्योगिक गृह पर ही बल दिया गया है । छोटे उद्यमियों की अवहेलना की गई है ।

औद्योगिक निकाय की धारा 3 में जो परिभाषा दी गई है वह बहुत विस्तृत है । लेकिन उसमें कुछ असंगति हैं । सरकार ने सरकारी क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपक्रम खोले हैं । इनका गठन ही इस लिए किया गया है कि कच्चा माल सुगमता से उपलब्ध हो और उसे सम्बन्धित उद्योगों को दिया जाये । लेकिन ये प्रतिवर्ष यही शिकायत करते हैं कि उन्हें उचित वित्तीय सहायता नहीं मिलती है जिससे कि वे अपनी खरीद कर सकें । यह यथार्थ बात है । इसका यह परिणाम निकला है कि अधिकांश फसल खरीदी नहीं जा सकती है...

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : यह भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अन्तर्गत नहीं आयेगी । मेरा सुझाव है कि मंत्री महोदय या तो अलग से एक संस्थान की स्थापना या निर्माता उद्योग से निकट से जुड़े किसी निगम की स्थापना पर विचार करें । क्योंकि इसके अभाव में ये उद्योग सुचारू रूप में काम नहीं कर सकते । बिना ठोस कच्चे माल के आधार पर और उसकी निरन्तर सप्लाई के कोई भी उद्योग विकसित नहीं हो सकता । इस पर विचार किया जाए ।

इस विधेयक में कुछ भी विवादास्पद नहीं है । सरकार अपनी ऋण नीतियों पर राष्ट्रीय प्राथमिकता के आधार पर विचार करे तथा उद्योगों के समग्र विकास के लिए दिशा निर्देश करे और नीतियों का निर्धारण करे तथा सार्वजनिक निधि का बड़ा भाग एकाधिकार और बड़े व्यापारियों के हाथ में न दे ।

श्री वाई० एस० महाजन (बुलडाना) : औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में पूरी तरह से रिजर्व बैंक के सहायक बैंक के रूप में की गई थी । प्रारम्भ में इसे अपेक्स बैंक के रूप में काम करना था । इसका मुख्य कार्य उद्योगों का वित्तपोषण करने में प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करना और उद्योगों का वित्तपोषण करने वाली संस्थाओं में समन्वय स्थापित करना था । यह विधेयक उसके इसी कार्य को प्रधानता देने के लिए लाया गया है ।

गत 10 वर्षों में औद्योगिक विकास बैंक ने बड़ा उत्साहवर्धक कार्य किया है । उसने कुछ 983 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की तथा उसमें से 727 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया । औद्योगिक विकास बैंक ने पिछड़े जिलों के विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य किया है । लघु उद्योगों और स्थानीय परिवहन का भी इसने वित्तपोषण किया है । इसकी मदद से लगभग 5 लाख लोगों को काम दिया जा सका है ।

बैंक का कार्य सुचारू ढंग से चले इसके लिए सबसे पहले रिजर्व बैंक के पास पड़ी सारी पूंजी को सरकार को दे दिया जाए तथा दूसरे एक पृथक निदेशक मण्डल का गठन किया जाए, जिसमें वित्तीय संस्थानों और गैर-सरकारी बैंकों के प्रतिनिधि हों ।

विभिन्न राज्य वित्त निगमों की जो पूंजी रिजर्व बैंक के पास है उसे औद्योगिक विकास बैंक को हस्तान्तरित कर दिया जाए तथा सभी वित्तीय संस्थाओं के प्रबन्ध मण्डल में विकास बैंक का प्रतिनिधित्व हो । इससे बैंक अपना कार्य अधिक कुशलता और प्रभावकारी ढंग से कर सकेगा तथा रिजर्व बैंक भी अपने कार्यों की ओर और अधिक ध्यान दे सकेगा ।

यह विश्वास कुछ लोगों ने प्रकट किया है कि औद्योगिक विकास बैंक को रिजर्व बैंक से पृथक करने पर उसे रिजर्व बैंकों के विशेषज्ञों का लाभ नहीं मिल सकेगा । परन्तु मेरी राय में ऐसा होने का कोई कारण नजर नहीं आता । विशेषज्ञों का लाभ तब भी उठाया जा सकता है ।

दत्त समिति ने पांच छः वर्ष पहले इन संस्थाओं के संयुक्त क्षेत्र में पुनर्गठन की सिफारिश की थी ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
(MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*)]

यद्यपि सरकार ने संयुक्त क्षेत्र की सिफारिश मान ली थी परन्तु उसे कार्य रूप देने के प्रयत्न नहीं किए गये हैं । संयुक्त क्षेत्र में औद्योगिक विकास बैंक प्रभावशाली सिद्ध होगा और औद्योगिक गृहों के हाथ से आर्थिक शक्ति समाप्त होगी ।

विधेयक के सम्बन्ध में एक आपत्ति यह उठाई गई है इसके द्वारा अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋणों में भेद पैदा हो जाएगा । मेरे विचार से संस्था के भली प्रकार कार्य करने के लिए यह भेद करना आवश्यक है ।

संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत गठित बोर्ड में 22–23 सदस्य होंगे तथा 11 सदस्यों वाली एक कार्य समिति होगी और 1–2 पूरे समय के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक होंगे । कार्य कुशलता की दृष्टि से ये सदस्य सक्रिय कार्यकर्त्ता होने चाहिए । पूरे समय के कार्यकर्त्ता यदि 3 या 4 हों तो मैं समझता हूं बैंक अधिक अच्छा कार्य कर सकेगा । इस संशोधन से मेरे विचार से बैंक अपना कार्य अधिक अच्छी तरह कर सकेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री अमरनाथ विद्यालंकार (चंडीगढ़) : विधेयक में अलग संवर्ग बनाए जाने का प्रस्ताव है जबकि मेरे विचार से एक राष्ट्रीय संवर्ग होना चाहिए जिस कार्यकर्त्ताओं को एक संस्था से दूसरी संस्था को स्थानान्तरित किया जा सके । ऋण के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति बनाई जानी चाहिए और सभी वित्तीय संस्थाऐं एक ही नीति का पालन करें । अब वह समय आ गया है जब कर्मचारियों का भी प्रबन्ध में सहयोग लिया जाए । इन संस्थाओं के प्रबन्ध मण्डल में लाभ उठाने वालों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए जिससे वे अपनी कठिनाइयां बता सकें ।

SHRI M. C. DAGA (Pali): I think the proposed provisions of the Bill will not fulfil the main purpose of giving loan in time. In my view the number of the members of the Board of Directors is too much. It should to be reduced otherwise there will be delay in sanctioning loan. There is provision of appointing both Chairman and Managing Director, but I think only one is sufficient.

The persons belonging to big industrial houses should not be included in this Board. Whether M.P.s and M.L.A.s will be represented in it or not? Small businessmen and industrialists should also get representation. In the name of expertise only big industrialists and monopolists should not be included.

Some procedure should be laid down for the quick disposal of applications for loan and it should be strictly followed.

श्री के० सूर्यनारायण (एलूरु) : कुछ राज्यों के राज्य वित्तीय निगमों का प्रबंध बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में है, मेरा सुझाव है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को इन वित्तीय संस्थाओं के लिये अध्यक्ष न नियुक्त किया जाये। वाणिज्यिक बैंकों को भी छोटे उद्योगों की सहायता के लिये सामने आना चाहिये क्योंकि केवल वित्तीय संस्थायें इन उद्योगों की सहायता नहीं कर सकतीं।

सरकार को तकनीकी जानकारी वाले लोगों को ही इन वित्तीय संस्थाओं का अध्यक्ष नियुक्त करना चाहिये। राज्य वित्तीय निगमों द्वारा स्वीकृत हर ऋण की पूरी छानबीन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को करनी चाहिये।

सहकारी संस्थाओं का विकास हमारी आशाओं के अनुसार नहीं हो रहा है। देश भर में 30 अथवा 40 सहकारी चीनी कारखानों को लाइसेंस दिये गये हैं लेकिन सरकार का कर्त्तव्य लाईसेंस देने मात्र से ही पूरा नहीं हो जाता है। इन संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने के बारे में क्या किया गया है? इस सम्बन्ध में विभिन्न विभागों के बीच तालमेल होना चाहिये। उद्योग विभाग, वित्त विभाग तथा वित्तीय संस्था के लोगों के इकट्ठे बैठ कर लाईसेंस देने तथा वित्तीय सहायता सम्बन्धी निर्णय लेना चाहिये।

ऋण की स्वीकृति में बहुत विलम्ब होता है। मैं वित्त मंत्री की सूचना में यह बात लाना चाहता हूं कि आंन्ध्र प्रदेश में सहकारी चीनी उद्योगों के लिये 8 लाइसेंस स्वीकृत किये गये है। तीन कारखानों के लिये 2 अथवा 3 करोड़ रुपये एकत्र किये जा चुके हैं। औद्योगिक वित्त निगम की ओर से भी ऋण स्वीकृत किया जा चुका है। हमें खुशी है कि देश में उद्योगों का विकास हुआ है।

सहकारी संस्थाओं को चार संस्थायें ऋण दे रही हैं लेकिन ये सभी संस्थाएं पृथक पृथक कानून शुल्क एकत्र कर रही हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाये जिससे केवल एक ही संस्था इस शुल्क को एकत्र करे और सभी संस्थाएं इसे आपस में बांटे।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : यह विधेयक संयुक्त समिति को भेजा गया था। उद्योगों के लिये 3, 4 संस्थाएं सहायता प्रदान करती हैं। लेकिन अब प्रश्न इन संस्थाओं के बीच तालमेल का है।

इस बात पर भी सहमति हो गई है कि समन्वय के लिये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक पहल करे। इस समय रिजर्व बैंक के निदेशक के सदस्य विकास बैंक के निदेशक बोर्ड के सदस्य भी होते हैं। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर भारतीय औद्योगिक बैंक का अध्यक्ष होता है।

उद्योगों के विकास के साथ साथ समस्याएं और जटिल हो गई है तथा वित्त पोषण के लिये औद्योगिक उद्यमों की संख्या बहुत बढ़ गयी है। इस लिये एक अलग निदेशक बोर्ड बनाना आवश्यक हो गया जो विशेषज्ञ को राय दे सके।

जहां तक विशेषज्ञता प्राप्त करने का प्रश्न हैं, बैंकों को इसे तीन क्षेत्रों से प्राप्त करना है, सबसे पहले जब कोई औद्योगिक उद्यम लाईसेंस लेकर बैंक से ऋण लेने आये, तो उन्हे परियोजना की वित्तीय आवश्यकता का निर्धारण करने में सक्षम होना चाहिये। दूसरे ऋण दिये जाने के बाद उसे यह निश्चित करना चाहिये कि उसका उपयोग उचित रूप में किया जाए और इसलिए निर्माण काल में देखभाल करना आवश्यक है। तीसरे जब उद्यम स्थापित हो जाये तो यह देखा जाये कि उसका उपयोग स्वार्थ के लिये, संसाधनों को किसी अन्य काम में लगाने तथा अन्य किसी हित साधन में न किया जाये। इसलिये हमें उस उद्योग के प्रबंध में भाग लेना चाहिये और यह भाग एक निदेशक रख देने से नहीं होगा, जब तक कि वह निदेशक, उद्यम किस प्रकार काम करता है, इसकी जानकारी प्राप्त न कर ले।

इस प्रकार की जानकारी का विकास करना होगा। इसलिये इस जानकारी को प्राप्त करने के लिये बैंक को कुछ स्वायत्तता प्राप्त होनी चाहिये।

आरोप लगाया गया है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक बड़े औद्योगिक गृहों को अधिक ऋण दे रहा है और अन्य को कम। रुपये की मात्रा की दृष्टि से बड़े औद्योगिक गृहों को अधिक रुपया मिला है। इसका कारण यह है कि बड़े औद्योगिक गृह अब उस क्षेत्र से सम्बन्धित है जिसमें अधिक निवेश की आवश्यकता होती है। इसलिये बड़े ऋण देने पड़े। यह कहा गया है कि हमें लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों पर अधिक बल देना चाहिये। वास्तव में यही हमारी नीति है। 177 उद्योग केवल लघु उद्योगों के लिए सुरक्षित कर दिए गये हैं।

इसके अतिरिक्त जूट और रुई निगमों का उल्लेख भी हुआ है। वे निर्माता इकाई न होकर व्यापारिक इकाईयां हैं। उन्हे अपनी कार्य पूंजी व्यापारिक बैंकों से लेनी पड़ती है। हमें अभी यह तय करना है कि इन नियमों की भूमिका क्या होगी। यदि यह तय हो जाये तो वित्त सम्बन्धी बाधायें पैदा नही होंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted.

खंड 2 से 6 तक विधेयक में जोड़ दिये गये
Clauses 2 to 6 were added to the Bill.

खंड 7

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं अपने संशोधन संख्या 1, 2, 3 तथा 4 पेश करता हूं ।

The sum and substance of my amendments is that out of 20, Government should nominate only 18 Directors and the rest two should be elected by the employees with a view to give representation to the employees. Provision for the representation of employees will ensure smooth functioning of the Board.

The re-selection of a person for another term of five years should not be permitted and some new hand should be given an opportunity for the same. I request you to accept my amendments.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : इस प्रश्न पर संयुक्त समिति में भी विस्तारपूर्वक चर्चा हुई थी ।

बोर्ड में इस प्रकार के व्यक्ति होने चाहिये जो इस सम्बन्ध में विशेष ज्ञान रखते हों और जो कर्मचारियों तथा अधिकारियों का उचित प्रतिनिधित्व करे । यदि इनका चुनाव किया जाये तो ये मतदाताओं के दबाव से मुक्त नहीं रह सकते । अत : इसके लिये चुनाव ही उचित है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 से 4 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

Amendment Nos. 1 to 4 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 7 से 58, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खंड 7 से 58, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 7 to 58, Clause 1, the Enacting formula and the title were added to the Bill.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक को, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन रूप में, पास किया जाये" ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक को, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, पास किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सिगरेट (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) विधेयक

The Cigarettes (Regulation of Production, Supply and Distribution) Bill.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सिगरेट के व्यापार और वाणिज्य और उसके उत्पादन, प्रदाय और वितरण के सम्बन्ध में कतिपय निर्बन्धनों का और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह बात निस्सन्देह सिद्ध हो चुकी है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। इस सम्बन्ध में अनेकों अध्ययन तथा अनुसंधान किये गये हैं ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिवेदन तथा द्वितीय और तृतीय विश्व धूम्रपान सम्मेलन के प्रतिवेदन में स्वास्थ्य पर धूम्रपान के असर को स्पष्ट रूप में दिखाया गया है। उनका सम्बन्ध फ़ेफ़ड़े के केंसर और बाल मृत्यु जैसी बिमारियों से है ।

खोज से पता चला है कि यदि गर्भवती मातायें अत्यधिक धूम्रपान करती हैं तो उसका प्रभाव अजन्मे बच्चे पर पड़ता है। यह स्पष्ट है कि समाज के हित की दृष्टि से लोगों पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव से लोगों को सचेत किया जाये ।

इस विधेयक में यह उपबंध किया गया है कि देश में निर्मित सभी सिगरेटों पर स्पष्ट रूप से यह चेतावनी रहे "धूम्रपान आपके स्वास्थ्य के लिये हानिकर है"। हम इसमें बीड़ी और सिगार को शामिल नही कर रहे। हमने केवल सिगरेट के सम्बन्ध में कानून बनाने से यह काम शुरू किया है, जो संसद के क्षेत्राधिकार में है ।

अन्य उत्पादों के सम्बन्ध में राज्य सरकारें कानून पास कर सकती हैं अथवा वे एक संकल्प पारित कर इस सम्बन्ध में कानून बनाने के लिये संसद् से अनुरोध कर सकती हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि सिगरेट के व्यापार और वाणिज्य और उसके उत्पादन, प्रदाय और वितरण के सम्बन्ध में कतिपय निर्बन्धनों का और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

Shri Ramavatar Shastri (Patna): I rise to support the Bill brought forward. though belatedly. The bill will be welcomed both by the smokers as well as by non-smokers.

The writing on the cigarette and bidi packets that smoking is health hazard will make the smokers aware of its ill effects on health. But mere warning on the packets will not do. We will have to launch a great propaganda against the ill effects of smoking on health throughout the country. If we tell the people about the ill effects of smoking on health, that will be more effective than the mere warning on the packets. The people should be told that smoking causes lung cancer, coronary and heart diseases and numerous other diseases. If they are made aware about the dangers of smoking, they will leave the habit of smoking, no doubt it is a fact that old habits die hard.

It has been said that the warning should be in English and other Indian languages. The House has already adopted Hindi as official language and English is only an associate language. It cannot have preference over Hindi. We want to give encouragement to Hindi. So it should be made clear in the Bill that this warning will be written in Hindi also along with English and other Indian languages.

श्री जी०विश्वनाथ (वाण्डीवाश) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं, यद्यपि यह बहुत देर बाद लाया गया है और इसे बहुत पहले लाया जाना चाहिये था। मैं समझता हूं कि तम्बाकू से हमारे देश को और विश्व को अन्य सभी बुराइयों की तुलना में अधिक हानि हुई है। एक बार तम्बाकू पीने की आदत हो जाय तो यह आदत जीवन भर चलती है तथा तम्बाकू पीने वाला तम्बाकू का दास बन जाता है। शायद ही कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, जो डाक्टर के कहने पर धुम्रपान बन्द कर देते हैं, परन्तु अधिकांश व्यक्ति जीवन भर धुम्रपान करते रहते हैं। धुम्रपान के खतरे के विरूद्ध उठाये गये सभी कदमों के बावजूद यह बीमारी चल रही है। लोगों को अच्छी तरह पता है कि धुम्रपान से फ़ेफ़ड़ों के कैंसर के अतिरिक्त हृदय और दिल की बीमारियां होती हैं, परन्तु फ़िर भी वे धुम्रपान करते रहते हैं। मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री यह विधेयक लाये हैं, जिस से लोगों को यह चेतावनी दी जायेगी कि धुम्रपान करने वालों, सावधान रहो, धुम्रपान आप का जीवन ले सकता है।

धुम्रपान की आदत से न केवल वृद्धजन ही प्रभावित हुए हैं, अपितु आज की युवा पीढ़ी, विशेषकर कालेज छात्र अधिक प्रभावित हुए हैं। महिला स्वतंत्रता आन्दोलन के बाद तो लड़कियों ने विशेषतया कालेज और विश्वविद्यालय की छात्राओं ने सिगरेट पीना आरम्भ कर दिया है। नेताओं तथा विशेषकर सांसदों का यह कर्त्तव्य है वे यह देखें कि सिगरेट पीने की आदत पर प्रतिबन्ध लगे।

एक माननीय सदस्य : पहले आप सेन्ट्रल हाल में तो कीजिए ।

श्री जी० विश्वनाथन : यदि संभव हुआ तो सेन्ट्रल हाल में स्वास्थ्य मंत्री कर सकते हैं ।

यह हमारे लिये बहुत कठिन है और विशेषकर तब जब कि हम वातानुकूलित वायुयान में यात्रा करते हैं । मंत्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वायूयान में यात्रा करने वाले यात्री सिगरेट आदि न पीने पायें । छविगृहों, तथा सभा भवनों आदि में सिगरेट पीने पर प्रतिबन्ध सम्बन्धी नियम तो पहले से मौजूद हैं, लेकिन उन्हें ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जाता है । राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिये अनुरोध किया जाना चाहिये कि इन नियमों को कठोरता से क्रियान्वित किया जाये ।

यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है कई अन्य देशों में ऐसे उपाय पहले ही किये जा चुके हैं । मुझे खुशी है कि यह विधेयक लाया गया है, हालांकि यह बहुत देर से लाया गया है और इसे बहुत पहले लाया जाना चाहिए था ।

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरीडीह) : महोदय, मैं एक ऐसा व्यक्ति होने के नाते जो वर्षों तक प्रति दिन लगभग 100 सिगरेटें पीता रहा और बाद में सिगरेट पीना छोड़ दिया, धुम्रपान के बारे में व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर यह कहना चाहता हूं कि सिगरेट छोड़ना कठिन जरूर है, परन्तु असंभव नहीं है ।

अब यह समस्या केवल सिगरेट पीने की नहीं रही है, अपितु इस से भी आगे बढ़ गई है । मेरी भतीजी ने जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा है, मुझे बताया कि उसे एक घण्टे के अवकाश में उस के साथ पढ़ने वाली छात्राओं द्वारा 5 से 6 सिगरेटें पेश की जाती हैं, जिन में एक या दो एल० एस० डी० से भरी होती हैं । अतः युवा पीड़ी विशेषतया छात्र वर्ग न केवल साधारण सिगरेट पीते हैं, बल्कि वे एल० एस० डी० से भरी सिगरेटें पीते हैं । सिगरेट पीना अपने आप में बुरी बात हैं, लेकिन एल० एस० डी० उस से भी अधिक बुरी है । यह युवा पीड़ी के स्वास्थ्य के लिये अत्यधिक हानिकारक है ।

सिगरेट पीने के बारे में अमरीकन मैडिकल सोसाइटी तथा ब्रिटिश मैडिकल सोसाइटी का मत किसी से छुपा हुआ नहीं है परन्तु शराब की तरह इसके लिये भी भारी दवाब पड़ रहा है और राजस्व प्राप्ति के लिये सरकार का हित धुम्रपान बढ़ाने में अधिक सहायक रहा है ।

मैं समझता हूं कि केवल यह चेतावनी लिख देने से कि धुम्रपान स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है, स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा । सिगरेट निर्माता कम्पनियां सिगरेटों को लोक प्रिय बनाने के लिये भारी प्रचार कर रही है । अतः सरकार इन कम्पनियों को यह चेतावनी लिखने के लिये कि धुम्रपान स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है, बाध्य करके इस स्थिति

का मुकाबला कैसे कर सकती है । ये कम्पनियां इस चेतावनी को छोटे से छोटे अक्षरों में लिखेंगी, ताकि इस पर किसी का ध्यान ही न जाये । यदि सरकार इस खतरे का सामना करना चाहती है तो इस के लिये भारी प्रयास करने होंगे और धूम्रपान के विरूद्ध भारी प्रचार करना होगा ।

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : कठिनाई यह है कि केवल यह चेतावनी लिखने मात्र से कि धुम्रपान स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है, कोई व्यक्ति धुम्रपान नहीं छोड़ेगा और न ही हल के लिये प्रेरित होगा । मैं जानता हूं कि धूम्रपान हानिकारक है, विशेषतया मुझे जैसे व्यक्ति के लिये, जो दमा का रोगी हो, परन्तु फ़िर भी मैं सिगरेट पीना नहीं छोड़ पा रहा हूं । धुम्रपान छोड़ना बहुत कठिन है । विदेशों में धूम्रपान के दुष्परिणामों के बारे में अत्यधिक प्रचार होता रहा है । फ़िर भी इस से कोई लाभ नहीं हुआ है ।

मेरे माननीय मित्र श्री चपलेन्दू भट्टाचार्य ने कहा है कि युवा पीढी सिगरेट पीने लगी है और उस ने शराब पीना भी आरम्भ कर दिया है । यह एक सामाजिक बुराई है । हम लोगों को उचित रूप में शिक्षा दे कर ही इस बुराई का उन्मूलन कर सकते हैं ।

श्री के० गोपाल (करूर): केवल मात्र विज्ञापनों से इस बुराई का उन्मूलन नहीं होगा । मैं सिगरेट पीता हूं तथा मैं यह भी जानता हूं कि यह बुरी चीज है । वस्तुतः कुछ वर्ष पहले मुझे आंखों का आपरेशन कराना पड़ा था तो उस समय मैंने अपनी पत्नी से कहा था कि मैं सिगरेट पीना छोड़ रहा हूं । तो उस ने कहा कि कोई बात नहीं आप डाक्टर से पूछ लीजिए । जब हम ने डाक्टर से सलाह ली तो उस ने पूछा कि आप कितनी सिगरेट रोज पीते हैं । मैंने कहा दस । तो उस ने कहा कोई बात नहीं आप सिगरेट पीना जारी रख सकते हैं । इसे धुम्रपान नहीं कहते । तथापि यह विधेयक अधिनियम बनने के बाद काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा । परन्तु इसे सफ़ल बनाने के लिये वातावरण तैयार करना होगा । हमें लोगों को इस बारे में शिक्षित करना होगा । हमें नवयुवकों को यह बताना होगा कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है । स्वयंसेवी संस्थाओं को यह कार्य अपने जिम्मे लेना होगा ।

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

Shri Ishaque Sambhali (Amroha): Drinking is injurious to health like smoking. It is a matter of great concern that the evil of drinking is spreading in our country at a very large scale and even the students studying in 9th or 10th class have started drinking. So my suggestion is that there should be a warning on each bottle of the liquor that it is injurious to health.

उपाध्यक्ष महोदय : यह विधेयक सिगरेटों से सम्बन्धित है, शराब से नहीं ।

Shri Ishaque Sambhali: If some body drinks in order to move in high society, I do not mind. But the labourers have started drinking and smoking. They do so for the sake of relaxation or for forgetting their worries. The Government should take steps for making alternate arrangements for the entertainment of these people, so that they may leave drinking and smoking.

There are certain foreign companies in our country, which are engaged in cigarette manufacturing. The companies should either be asked to close their business of they should be nationalised, so that the quality of the cigarettes manufactured by them could be controlled.

Dr. Karan Singh: My hon. friend Shri Ramavatar Shastri has rightly said that our duty will not be over by merely passing the bill. Actually it will be the beginning of our task. We will have to educate the people against the evil of smoking. We are thinking to launch a special drive in schools and colleges, Where this evil is spreading, against smoking.

कहा गया है कि सिनेमा-घरों, बसों, सभा भवनों आदि में धूम्रपान निषेधक प्रतिबन्ध अधिक कठोरता से लगाये जाने चाहियें। वास्तव में आपने देखा होगा कि इण्डियन एयर लाइन्स में अब विमान में दोनों ओर की पहली चार पंक्तियां उन्हीं यात्रियों के लिए हैं जो धूम्रपान नहीं करते हैं। अब अन्तर्राष्ट्रीय तथा घरेलू विमान सेवाओं में अधिकाधिक रूप में धुम्पानक ी प्रवृत्ति पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है। मेरे विचार में बसों में भी ऐसी कार्यवाही की जानी चाहिये।

दवाइयां खाने की आदत पड़ने के मामलों की ओर ध्यान दिलाया गया है। परन्तु इसमें वास्तविकता यह है कि सिगरेटों के माध्यम से ही हानिकारक औषधियां बाजार में आने लगी हैं। लेकिन यह एक दूसरी समस्या है। फिर भी हमें देश में दवाइयों के आदी होने की बढ़ रही समस्या पर भारी चिन्ता है। इस बारे में मुझे सभा को सूचित करना है कि हमने स्वास्थ्य मंत्रालय में हाल ही में एक विशेष दल बनाया है जो औषधियों के खाने की आदत पड़ने के प्रश्न के बारे में भी विचार करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि यह बुराई कहां तक बढ़ी है और इसके बारे में क्या किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में सतर्कता बरतना ही इस समस्या का कारगर उपाय है। यह आशा है कि तस्करी विरोधी अभियान से हमें इस मामले में सहायता मिलेगी।

यह किसी ने दावा नहीं किया कि सिगरेटों के पैकेट पर चेतावनी छापने मात्र से इस समस्या का समाधान हो जायेगा। इसके लिए दीर्घकालीन और अनवरत प्रयास करने होंगे। धूम्रपान के विरुद्ध आम जनता को जानकारी देने का एक राष्ट्रीय अभियान चलाना होगा।

मौलाना साहब ने युवा पीढ़ी के बारे में कहा है क्योंकि यह दुर्भाग्य की बात है कि नवयुवक विद्रोह अथवा अपनी स्वतन्त्रता या व्यक्तित्व जताने के लिए धूम्रपान शुरू करते हैं। इस सम्बन्ध में पैतृक प्रभाव काफी कुछ कारगर सिद्ध हो सकता है। उन्हें बताया जाये कि धूम्रपान उनके स्वास्थ्य तथा विकास के लिए बुरा है। मेरे विचार में युवा पीढ़ी इस ओर ध्यान देगी।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि शराब पीना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मौलाना साहब का सुझाव था कि शराब की बोतल पर भी ऐसी चेतावनी छापी जानी चाहिये कि यह खतरनाक है। हम इस सुझाव पर विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सिगरेट के व्यापार और वाणिज्य और उसके उत्पादन, प्रदाय और वितरण के सम्बन्ध में कतिपय निर्बन्धनों का और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 5 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिय गये ।

Clauses 2 to 5 were added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 6 पर विचार करते हैं । **श्री रामावतार शास्त्री**. क्या आप अपने संशोधन पेश कर रहे हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : जी हां, मैं 1 से 16 तक संशोधन पेश करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रामावतार शास्त्री द्वारा खण्ड 6 पर पेश किये गये संशोधन संख्या 1 से 16 सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

ये संशोधन मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 से 8 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 6 से 8 विधेयक में जोड़े गये ।

Clauses 6 to 8 were added to the Bill.

खण्ड 9

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 9 पर विचार करते हैं । इस पर श्री रामावतार शास्त्री का एक संशोधन संख्या 17 है ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं संशोधन संख्या 17 पेश करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रामावतार शास्त्री द्वारा खण्ड 9 पर पेश किया गया संशोधन संख्या 17 सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 10 से 16 पर कोई संशोधन नहीं है । अतः प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 से 16 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 9 से 16 विधेयक में जोड़े गये ।

Clauses 9 to 16 were added to the Bill.

खण्ड 17

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 17 पर विचार करते हैं । श्री रामावतार शास्त्री द्वारा पेश किया गया एक संशोधन संख्या 18 है ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं संशोधन संख्या 18 पेश करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रामावतार शास्त्री द्वारा खण्ड 17 पर पेश किया गया संशोधन संख्या 18 सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : शेष खण्डों पर कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 17 से 22, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम-विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 17 से 22, खण्ड 1, अधिनियम नसूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clauses 17 to 22, Clause 1, the Enacting Formula and the title were added to the Bill.

डा० कर्ण सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं ।:

"कि विधेयक पास किया जाये ।"

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : इस विधेयक से अनिवार्य हो गया है कि बाजार में बिकने वाली प्रत्येक सिगरेट पर यह चतावनी होनी चाहिये कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अतः संसद के अधिनियम के अन्तर्गत एक वस्तु देश भर में जायेगी जिसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है ।

यह जानते हुए कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्या ऐसा करने की अनुमति देना लोकहित में है तथा राष्ट्र की लोक नीति के अनुसार है तथा इस प्रकार इसकी बिक्री को बढ़ावा देना और अधिक आय अर्जित करना नैतिक प्रश्न है ? इस मामले पर उसी दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिये । कोई बात ध्यान में न आये तो ठीक है परन्तु यह बात तो संसद के नोटिस में है कि यह वस्तु हानिकारक है और इसे यह घोषणा करके बेचा जाये कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और सरकार मुनाफा कमाये, ठीक नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप तो विस्तृत प्रश्न को ले बैठे । आपको विधेयक के बारे में क्या कहना है ?

श्री सी० एम० स्टीफन : यद्यपि मैं यह नहीं चाहता कि जो वस्तु बुरी है उसे बेचा जाये,तथापि मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): I will appeal to the hon. Minister that services of social organisations be obtained for making this propaganda. Putting on warning on cigarettes will not prove effective for long. Later on people will start ignoring it.

डा० हेनरी आस्टिन (एर्णाकुलम): सिगरेटों पर चेतावनी लिखने के अलावा मंत्रालय को समाज सेवा संगठनों तथा अन्य संगठनों को सक्रिय करना चाहिये कि वे यह प्रचार करें कि धूम्रपान हानिकारक है । लोगों को भी इसकी जानकारी दी जानी चाहिये ताकि धूम्रपान की प्रवृत्ति के विरुद्ध वातावरण बनाया जा सके । इस पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रश्न पर बाद में विचार किया जा सकता है ।

Shri T. D. Kamble (Latur): In case cigarette packets carry the warning on them that smoking is injurious to health, there is possibility that cigarette manufacturers may counteract it through advertisements that smoking is good. What action is being taken by government to check it?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : श्री स्टीफन ने यह अत्यन्त मौलिक प्रश्न उठाया है कि इसमें क्या सही और क्या गलत है और क्या सरकार ने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादन का परिचालन करने की अनुमति देकर इसके प्रति कोई नैतिक औचित्य दिखाया गया है । इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है परन्तु मैं कहूंगा कि सिगरेट उद्योग विश्व में अच्छी तरह स्थापित हो चुका है और इससे सरकारी खजानों में बहुत धन मिलता है अतः कोई भी सरकार यह महसूस नहीं करती कि राजस्व प्राप्त करने का यह ढंग गलत है । हम जो कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं वह इस सम्बन्ध में जनमत जागृत करने हेतु, अभियान का आरम्भ मात्र है । डा० हेनरी ने कहा है कि जन-शिक्षा का सुविस्तृत अभियान चलाया जाना चाहिये । श्री बनर्जी ने कहा है कि स्वैच्छिक संगठनों तथा सामाजिक संस्थाओं को इस कार्य में लगाया जाना चाहिये । मैं सहर्ष ऐसा करूंगा बशर्ते कि समाजसेवी स्वयं धूम्रपान करने वाले न हों ।

विज्ञापनों के प्रभाव के बारे में प्रश्न उठाया गया है । इस विधेयक में उपबन्ध किया गया है कि सभी विज्ञापनों में चेतावनी चिन्ह अवश्य होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पास किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

राष्ट्रीय कैडेट कोर (संशोधन) विधेयक

NATIONAL CADET CORPS (AMENDMENT) Bill.

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 इस देश में राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना करने के उद्देश्य से बनाया गया था तथा अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत सरकार को कोर के प्रशासन तथा गठन सम्बन्धी नीति के मामलों पर सरकार को परामर्श देने हेतु एक राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है । इस समिति में सरकारी और गैर-सरकारी सदस्य हैं और धारा 12(1) (झ) के अनुसार इस समिति में कार्य करने के लिए दो सदस्य लोक सभा द्वारा और एक सदस्य राज्य सभा द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं । इसका आशय यही है कि जब तक वे सदन के सदस्य रहते हैं तभी तक वे समिति के सदस्य भी रह सकते हैं । सदन के सदस्य न रहने की स्थिति में वे समिति के सदस्य नहीं रह सकते । इस आशय को स्पष्ट करने हेतु 1958 में दूसरी लोक सभा की अधीनस्थ विधान समिति ने यह सुझाव दिया था कि इस उद्देश्य के लिए इस अधिनियम का संशोधन किया जाना चाहिये । सरकार भी इस अधिनियम में कुछ भारी संशोधन करने का विचार कर रही है । उस समय यह छोटा सा संशोधन संसद के समक्ष नहीं आ सका था । समय की गति के अनुसार ऐसा भारी संशोधन आवश्यक नहीं समझा गया । इसीलिए यह छोटा सा संशोधन सभा के सम्मुख लाया गया है ।

अब अधिनियम में नियम बनाने के उद्देश्य से इसमें एक स्टेंडर्ड उपबन्ध जोड़ने के लिए इस अधिनियम की धारा 13 का संशोधन करने के लिए यह विधेयक लाया गया है । इस अधिनियम की धारा 13 की प्रस्तावित उपधारा 3 अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति द्वारा हाल में सिफारिश किये गये आदर्श खण्ड के ही अनुरूप है । अतः मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

Shri B. S. Bhaura (Bhatinda): The original Bill was enacted in 1948. In 1958 the Committee on Subordinate Legislation had suggested that the Act should be amended. After 18 years Government have brought this amendment. It reveals how serious Government are in this regard? N.C.C. is very important for creating a sense of discipline among students. It played a very useful role at the time of foreign attack on our country.

Later on it was bifurcated into three wings i.e., N.C.C., National Service Scheme and National Sports Organisation. No doubt N.C.C. has been made compulsory but there is not much enthusiasm now. There are complaints that the military officers, who come to impart training, are either inefficient or they are not paid handsome salary or they are not given additional allowances. If we want national discipline in the country, N.C.C. should be run efficiently and it should be made strong.

Members of Parliament should be invited to the meetings of the Advisory Committees. They should also be entrusted with some responsibility. Professors and lecturers posted in universities should be screened to avoid infiltration of reactionary elements. Organisation of N.C.C. should be strengthened more and more if we want to create discipline among the student community. They should know that our ultimate goal is socialism. We all know how J.P. tried to mislead the students. If N.C.C. is strengthened such type of persons will not succeed.

Shri M. C. Daga (Pali): It is an inadequate Bill. N.C.C. should have been made compulsory for every student. It should not be left to the discretion of students. In the beginning there was good response from students and a considerable amount had been earmarked for this purpose. Some reports have been received to the effect that students do not get any kind of amenities.

Report of the Enquiry Committee have not been made available to us. I am afraid certain officers have taken wrong steps which have discouraged the students. The Committee on Subordinate Legislation had recommended that whenever any rules are framed, they should first be laid on the Table. The enquiries made by the Committee revealed that this rule is not being observed.

श्रीमती रोजा देशपाण्डे (बम्बई-मध्य) : मैं केवल संशोधन के सम्बन्ध में ही नहीं कह रही बल्कि मैं कुछ बातें मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहती हूं। राष्ट्रीय कैडेट कोर एक बहुत अच्छी संस्था है। मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या एन० सी० सी० के कैडेटों को क्या सेना में ले लिया जाता है? मेरा ख्याल है कि नहीं। मुझे कुछ मित्रों से पता चला है कि बड़े-बड़े पब्लिक स्कूलों से छात्रों को सेना में विभिन्न पदों के लिये चुन लिया जाता है। पूना में एक अकादमी है जहां के बच्चों को दसवीं या उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने पर सीधे ही सैनिक पदों पर ले लिया जाता है। मंत्री महोदय को एन० सी०सी० से निकले छात्रों के भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिये।

श्री ज० बो० पटनायक : अनेक सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है इसके लिये मैं उन्हे धन्यबाद देता हूं। श्री भौरा ने कहा है कि यह विधेयक विलम्ब से लाया गया है। विधेयक पुरःस्थापित करते समय मैंने बताया था कि पहले इस विधेयक में कुछ बड़े संशोधन करने का विचार था अतः ये छोटे-छोटे संशोधन अधिक आवश्यक नहीं समझे गये। लेकिन चूंकि बड़े संशोधन आवश्यक नहीं समझे गये अतः यह विधेयक सभा के सम्मुख लाया गया है। सरकार अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की सिफारिशों को मानकर उन्हें कार्यान्वित कर रही है। वास्तव में अधिनियम के अन्तर्गत नियम सदैव ही पहले सभा पटल पर रखे जाते हैं। लेकिन इस अधिनियम को अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की सिफारिशों के अनुरूप गठित करने के लिये यह संशोधन लाया गया है।

श्री एच० एन० कुंजरू की अध्यक्षता में बनी एक अत्यन्त उच्चाधिकार वाली समिति की सिफारिशों पर 1948 में राष्ट्रीय कैडेट कोर स्थापित किया गया। पिछले 27 वर्षों से यह संगठन अनुशासन में नवयुवकों को प्रशिक्षित करता आ रहा है। हमें उस पर गर्व है। एन.सी.सी. का उद्देश्य छात्रों में अनुशासन, सेवा के आदर्श और नेतृत्व की भावना पैदा करना है ताकि वे देश के रक्षा-कार्यों में रुचि पैदा करें और राष्ट्राय आपात स्थिति के दौरान वे शीघ्रता से फल कर आरक्षित जनशक्ति के रूप में उदय हो सकें। शांति और युद्ध दोनों परिस्थितियों में एन. सी. सी. ने संतोषजनक कार्य किया है।

1965 और 1971 की युद्धकालीन स्थिति के दौरान एन.सी.सी. के छात्रों को सिविल डिफेंस के कार्यों में लगाया गया और उन्होंने अपनी मूल्यवान सेवाएं बहुत कुशल ढंग से अर्पित की। हाल ही में आई बाढ़ के दौरान राजस्थान के कुछ नगरों में एन सी सी के छात्रों ने अधिकारियों के साथ मिल कर न केवल कई मूल्यवान जीवन बचाये बल्कि बाढ़ से घिरे स्थानों में से लोगों को निकालने का कार्य भी किया।

श्रीमती रोजा देशपांडे ने एन.सी.सी. छात्रों के सैनिक भविष्य के बारे में पूछा है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय सैनिक अकादमी और अन्य सैनिक कालेजों में एन.सी.सी. के छात्रों को काफी बड़ी संख्या में लिया जाता है। श्री डागा ने महाजन समिति का उल्लेख किया है। इस समिति ने अत्यन्त महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। एक सिफारिश यह है कि सीनियर डिवीजन में एन सी सी के छात्रों की संख्या में कमी की जाये। महाजन समिति का कहना है कि प्रशिक्षण का उद्देश्य संख्या में वृद्धि न होकर छात्रों की गुणवत्ता में वृद्धि करना है। उनकी सिफारिश है कि केवल 400,000 छात्रों को सीनियर डिवीजन में लिया जाये। हमने यह बात पूरी तरह मानी है। एन सी सी के सीनियर तथा जूनियर डिवीजन में छात्रों एवं छात्राओं की कुल संख्या 6,50,210 है।

अभी तक सरकार द्वारा समय-समय पर छात्रों का मूल्यांकन नहीं किया जाता। फिर भी 1959 में बनी कुंजरु समिति ने एन सी सी के कार्यकरण की बहुत तारीफ की थी। जहां तक एन सी सी को अनिवार्य बनाने का प्रश्न है तो यह सरकार का कार्य नहीं है। महाजन समिति ने भी कहा है कि इसे ऐच्छिक विषय ही रहने दिया जाये। 1962 में चीन के साथ युद्ध के बाद एन सी सी अनिवार्य विषय बना दिया गया था लेकिन 1967 में उपकुलपतियों द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार इसे फिर से ऐच्छिक विषय बना दिया गया।

आज एन सी सी युवकों का दलरहित सबसे बड़ा दल है। हम इसे राष्ट्रीय स्वयं संघ के नमूने पर नहीं ढालना चाहते। किसी छात्र द्वारा किये गये काम के आधार पर ही उसे तरक्की दी जाती है। पिछली तीन दशाब्दियों के दौरान हमने युवकों का एक बढ़िया संगठन तैयार किया है।

अतः हमें इस संगठन की आलोचना नहीं करनी चाहिये। उसमें कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। लेकिन समूचे रूप से देखा जाये तो इस संगठन ने युद्ध और शान्ति के दौरान सराहनीय कार्य किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948, का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करते हैं। खंड 2 और 3 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का भाग बनें ।"

प्रताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 1

संशोधन किया गया ।

पृष्ठ 1, पंक्ति 3 और 4,—

राष्ट्रीय कैडेट कोर (संशोधन) अधिनियम, 1974 के स्थान पर "राष्ट्रीय कैडेट कोर (संशोधन) अधिनियम, 1975" प्रतिस्थापित किया जाये— (2)

Page 1, Lines 3 and 4.— for. "National Cadet Corps (Amendment) Act, 1974"

Substitute—

"National Cadet Corps (Amendment) Act, 1975".

(श्री जे० बी० पटनायक)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का भाग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

(1) "पच्चीसवें (Twenty-fifth)" के स्थान पर "छब्बीसवें (Twenty-Sixth)" प्रतिस्थापित किया जाये । (1)

(श्री जे० बी० पटनायक)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का भाग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

शीर्षक विधेयक में जोड़ा गया ।

The Title was added to the Bill.

श्री जे० बी० पटनायक : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पास किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पास किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हमने सारा कार्य पूरा कर लिया है । सभा कल मध्याह्न पूर्व 11 बजे तक के लिये स्थगित होती है ।

तदनुसार लोक सभा बुधवार, 6 अगस्त, 1975/13 श्रावण, 1897 (शक) के मध्याह्न पूर्व 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, August 6. 1975/Sravana 13, 1897 (Saka).

GMGIPND -LS III—1277 LS DEB—26—9—75—200

PARLIAMENT LIBRARY
No. B 274(18)
DATED 3.10.75

[यह लोक सभा वाद विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc., in English/Hindi]